कुरुक्षेत्र

Publication Division

जून, 1989

मूल्य : 2 रुपये

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा का अधिकतम उपयोग तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि ग्रामीण लोग जल स्रोतों तक आसानी से पहुंच सकें। यदि पानी के साधन बस्ती से दूर होंगे तो सम्भव है कि इन साधनों से पूर्ण लाभ न उठाया जा सके।

वर्ष-34, अंक 8, जेष्ठ-आषाढ़, शक 1911

कार्यवाहक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

उत्पादन अधिकारी : राम स्वरूप मुंजाल

आवरण पृष्ठों की साज सज्जा : राजेन्द्र कुमार टंडन
चित्र : फोटो प्रभाग से साभार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए । अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

एक प्रति : 2.00 रु.
वार्षिक चंदा : 20 रु.

विषय-सूची

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या 2
देवकृष्ण व्यास

पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी एक संस्थागत प्रयास 5
के. बालचन्द्र कुरूप

चलें गांव की ओर (कविता) 9
जानकी प्रसाद बड़थ्वाल 'भ्रमर'

प्रजातन्त्र का आधार – सहकारिता 10
डा. राकेश अग्रवाल

ग्रामीण जल आपूर्ति-अभूतपूर्व सफलता 12
आर.के.ए. जसवानी

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल : समस्या कम हुई 16
हरि विश्नोई

ग्रामीण सामुदायिक जल आपूर्ति 19
एम. नागेश्वर राव एवं वीरशेखरप्पा

कलकत्ता में पंचायती राज सम्मेलन 21

पेयजल आपूर्ति : ग्रामीण विकास की कुंजी 26
आशा शर्मा

जीवन-फूल (कहानी) 29
हेमन्त चौरडिया

कीटनाशक दवाइयां और पर्यावरण : एक अवलोकन 35
प्रो. यू.एस. मिश्र

ग्रामीण विकास एवं जल आपूर्ति कार्यक्रम 41
विजय कुमार रूँगटा

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें। दूरभाष: 384888

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या

वेदकृष्ण व्यास

जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य, पशु-पक्षी और वनस्पति के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रकृति की इस अनुपम देन का जितना गुणगान किया जाए कम है। यह उचित ही कहा गया है कि बिन पानी सब सून।

पर्यावरण में असंतुलन से सारी दुनिया के जल स्रोत प्रभावित हुए हैं। भारत में भी वनों के विनाश से स्थिति काफी चिन्ताजनक होती जा रही है। अपर्याप्त और अनियमित वर्षा से देश के कई क्षेत्र हर साल सूखे की चपेट में आ जाते हैं। इस प्राकृतिक प्रकोप के फलस्वरूप पीने के पानी की समस्या अत्यन्त भयंकर रूप ले लेती है। सूखा पड़ने पर ही नहीं, सामान्य अथवा संतोषजनक वर्षा होने पर भी जल संकट बना रहता है। जनसंख्या बढ़ने, नई कालोनियां बसने और जल साधनों का समुचित विकास न होने के कारण महानगरों, नगरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या इतनी जटिल नहीं है जितनी ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि वहां नगर निगमों और नगर पालिकाओं द्वारा जल वितरण की व्यवस्था की जाती है। देहातों में रहने वाले अधिकतर परंपरागत जल साधनों जैसे कुएं, बावड़ी अथवा तालाब पर ही निर्भर करते हैं। स्वतंत्रता के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयत्नों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। ट्यूबवेलों और हैंडपम्पों के जरिए गांवों में पीने का पानी सुलभ कराने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए गए हैं। किन्तु स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि 1,61,722 गांव स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं। देश के कुल गांवों के 26 प्रतिशत में जब यह स्थिति हो तब कल्पना की जा सकती है कि आबादी के एक बहुत बड़े भाग को कितनी कठिनाइयों और असुविधाओं में रहना पड़ता होगा।

1972 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 24,000 गांवों को सुरक्षित जल उपलब्ध था। 4 लाख से अधिक गांव ऐसे थे जहां पानी की किसी न किसी प्रकार की सुविधा थी किन्तु इस पानी के प्रदूषित होने का पूरा खतरा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 88,654 गांवों को पेयजल की सुविधा सुलभ की गई। सातवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान अर्थात 1988-89 में 32,698 गांवों में कार्य योजना चलाई गई और 1989-90 में 17,560 गांवों में चलाई जाएगी। ऐसी संभावना है कि पंजाब, मिजोरम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नगालैंड में 3347 समस्याग्रस्त गांव सातवीं योजना के समाप्त होने पर भी बाकी रह जाएंगे।

पानी की समस्या सरकार के लिए एक लम्बे अर्से से चिन्ता का विषय रही है। देश में कहां कितना और कैसा पानी उपलब्ध है, इसका पता लगाने के लिए 1981 की जनगणना में भी प्रयास किया गया था। लोगों से पूछा गया था कि वे पीने का पानी कहां से प्राप्त करते हैं—कुएं से, नल से, हैंडपम्प से, नलकूप से, नदी से, नहर से अथवा तालाब से। यह भी पूछा गया था कि पानी का स्थान उनके घर के समीप है या दूर। प्राप्त जानकारी से यह निष्कर्ष निकला कि देहातों में रहने वाले तीन चौथाई परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। पंजाब और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। पंजाब में 82 प्रतिशत परिवारों और पश्चिम बंगाल में 66 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त है। केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, गोआ, दमन एवं दीव, मणिपुर, मेघालय, दादर व नागर हवेली, सिक्किम और त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति काफी खराब है। जानकारी से यह बात भी सामने आई कि जल स्रोत आम तौर पर 1.5 किलोमीटर से अधिक दूर है और जो जल उपलब्ध है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है।

राजस्थान में तो पानी की किल्लत प्रायः हर साल रहती है। अकाल के दिनों में स्थिति अत्यन्त विकराल रूप ले लेती है। जब कुएं सूख जाते हैं और हैंडपम्पों का जल स्तर भी नीचे चला जाता है तब त्राहि-त्राहि मच जाती है। मीलों दूर

से पानी लाने के लिए औरतें सिर पर घड़े रखकर निकल पड़ती हैं। इस क्षेत्र में पानी प्रायः क्षारीय होता है जिसे लोग प्रायः मट्ठा मिला कर पीते हैं। इस पानी से फ्लोरोसिस की बीमारी भी हो जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में आपका स्वागत दूध या मट्ठे के गिलास से हो सकता पर है पर आप पानी मांगेंगे तो निराश ही होना पड़ेगा। राजस्थान के आदिवासी जिलों उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी पानी का संकट सदा बना रहता है। इस क्षेत्र में कुओं और बावड़ियों का गन्दा पानी पीने से प्राय नारू रोग हो जाता है। राज्य सरकार ने पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1989-90 में 57.8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से 29.8 करोड़ रु. शहरी क्षेत्र के लिए और 28 करोड़ रु. ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इस साल 1500 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की स्थिति गंभीर है। अनियमित वर्षा और लगातार सूखे के कारण भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। 1987 में राज्य के 35 जिलों में सूखे से पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो गया था। इसका मुकाबला करने के लिए 1987-88 में 8914 प्रभावित गांवों में 14500 नलं कूप खोदे गए। इस साल रायपुर और रीवा संभाग के सात जिलों के 4221 गांवों में सूखे की वजह से पेयजल का संकट है। राज्य सरकार ने 37 करोड़ रुपये की एक पेयजल योजना केन्द्र के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की है। इस वर्ष जून के पूर्व राज्य के विभिन्न भागों में जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए 22 करोड़ रुपये की व्यापक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। पहाड़ी इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को बेहद मुसीबत उठानी पड़ती है। दूर दराज के गांवों में पानी के टेंकर भी नहीं पहुंच पाते हैं। निस्संदेह, हैंडपम्पों के जरिए कष्ट निवारण का प्रयास किया गया है। इन हैंडपम्पों के रखरखाव और मरम्मत की ओर समुचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्रश्न यह भी उठता है कि हैंडपम्पों का पानी कहां तक सुरक्षित है।

यह सराहनीय है कि सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 1990 तक सभी समस्याग्रस्त गांवों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य पानी पहुंचाना, वैज्ञानिक तरीकों से जल साधनों का पता लगाना और जल की किस्म में सुधार करना है। यह काम पानी के कीड़ों को समाप्त करने, पानी को अतिरिक्त फ्लोराइड, लौह और लवण से मुक्त करने के लिए विशेष उप-मिशन स्थापित करके किया जा रहा है। पानी की समस्या वाले गांवों में जल संसाधनों का पता लगाने में उपग्रह से तस्वीरों तथा भू-भौतिकीय अध्ययन से मदद मिली है। कंप्यूटर की सहायता से प्रबन्ध सूचना प्रणाली के विकास का काम भी शुरू किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पानी में कीड़ों से प्रभावित गांवों की संख्या 1985 में 12,840 थी जो जुलाई 1988 में घटकर केवल 3,111 रह गई। यह भी उल्लेखनीय है कि 1988-89 में फ्लोराइड खत्म करने के 100 संयंत्र, लवण दूर करने के 100 संयंत्र और लौह तत्व दूर करने के 3500 संयंत्र स्थापित किए गए। इसके अलावा, 2892 बावड़ियों अर्थात् स्टेप वेल को सेनेटरी वेलों में बदलने के लिए 7.05 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई। यह स्वागत योग्य है कि ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए राज्यों से कहा गया है। अक्तूबर 1986 से मार्च 1987 के बीच 2090 गांवों में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम चलाया गया। इसके समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार सर्वेक्षित आबादी का बीस प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों की आबादी थी। लेकिन 27 प्रतिशत जल संसाधनों को इनकी आबाद्री वाले इलाकों में लगाया गया। जनजातियों के इलाकों में अधिक काम के लिए पुरुलिया (पश्चिम बंगाल), सिंहभूम (बिहार), साहबगंज (बिहार), मयूरभंज (उड़ीसा) तथा धर्मपुरा (गुजरात) को राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत मिनी मिशन परियोजना क्षेत्र के रूप में लिया गया है।

केन्द्र ने राज्य सरकारों को नए नीति निर्देश देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी. और एम.एन.पी. दोनों के अंतर्गत समस्या वाले गांवों में जल आपूर्ति कार्यक्रम को चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पहले उन गांवों को लिया जाए जो छठी योजना में बाकी रह गए हैं। इसके बाद 1985 के सर्वेक्षण वाले समस्याग्रस्त गांवों, रसायनों या कीड़ों से प्रदूषित पेयजल वाले गांवों और उन

गांवों को जहां प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति दस लीटर अथवा कम हो, प्राथमिकता दी जाए। 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन आपूर्ति वाले गांवों में अभी आपूर्ति नहीं बढ़ाई जाएगी।

यह दरअसल चिन्ता की बात है कि केन्द्र और राज्यों द्वारा स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। 1987-88 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत 358.32 करोड़ रु. खर्च किए गए जबकि 366.80 करोड़ रु. दिए गए थे। एम.एन.पी. के अंतर्गत 434.83 करोड़ रु. खर्च हुए जबकि प्रावधान 517.75 करोड़ रु. का था। मिशन के लक्ष्य को इस बात से भी धक्का लगा है कि कई राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए स्वीकृत राशि का दूसरे कामों में उपयोग कर लिया गया। राजस्थान, गुजरात, बिहार, पं. बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल ने निस्संदेह लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की योजनाओं को 1989-90 के दौरान जल समस्या वाले छोटे कस्बों में लागू किया जाएगा। 50 छोटे कस्बों में यह योजना लागू करने के लिए पांच करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। राज्यों को यह धन राशि केवल इस शर्त पर दी जाएगी कि वे अपने एम.एन.पी. क्षेत्र के अंतर्गत इतने ही धन की व्यवस्था खुद करेंगे।

यह भी संतोष का विषय है कि भारत की इस जटिल समस्या के समाधान में कई देशों और विदेशी एजेन्सियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। नीदरलैंड, डेनमार्क, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (डानिडा) और स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (सीडा) की वित्तीय और तकनीकी सहायता से आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा और राजस्थान में कई योजनाएं चल रही हैं। एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसी नाम की एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जवाहरलाल नेहरू शताब्दी वर्ष में इलाहाबाद के आसपास 20 पेयजल परियोजनाएं शुरू करने जा रही है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत पीने के पानी की समस्या को हल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पर यह समस्या इतनी बड़ी और व्यापक है कि इसके लिए और अधिक योजनाबद्ध कदम उठाने होंगे। पानी को राष्ट्रीय संपदा घोषित कर इसके दुरुपयोग को रोकना होगा। नदियों में पूरे साल पानी पर्याप्त मात्रा में बहता रहे, इसके लिए जलग्रहण क्षेत्रों में जंगलों का विकास जरूरी है। वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई को रोककर तथा बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाकर ही वर्षा की अनिश्चितता को दूर किया जा सकता है। सरकार अपने सीमित साधनों से पेयजल समस्या हल करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जन-साधारण को और विशेष मानव सेवी संस्थाओं को भी इस समस्या के उचित समाधान में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए।

सी-31, गुलमोहर पार्क
नई दिल्ली-110049

लेखकों के लिए

रचना और अन्य प्रकाशनार्थ सामग्री भेजने वालों से अनुरोध है कि रचना भेजते समय वे कृपया इन बातों का ध्यान रखें:—

रचना संक्षिप्त एवं उसकी प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। इसमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी अप्रकाशित और प्रमाणित होनी चाहिए।

रचना दो प्रतियों में डबल स्पेस में टाइप की हुई हो जो सात-आठ पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। विषय प्रतिपादन में उपशीर्षकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

रचना के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी आमंत्रित हैं।

पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी: एक संस्थागत प्रयास

के.बालचंद्र कुरूप

उन्नीसवीं और 20वीं शताब्दी में सफाई के बारे में अपनाये गये प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण मानव समाज में होने वाले संक्रामक रोगों और उनसे होने वाली मृत्यु में कमी आई है। आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि जल आपूर्ति और सफाई में सुधार के साथ उन निर्धन देशों में भी मृत्यु दर और रोग दर में कमी लाई जा सकती है जहां अभी भी रोग दर और मृत्यु दर काफी ज्यादा है। लेकिन केवल पानी से ही सफाई या स्वास्थ्य की सभी समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। पानी और शौचालय की व्यवस्था के बावजूद इस समस्या का तब तक समाधान नहीं है जब तक कि लोग पारिवारिक स्तर पर या निजी तौर पर स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्वच्छता के नियमों का संतोषजनक ढंग से पालन नहीं करते। यद्यपि योजना बनाने वालों में इस बात पर सहमति है कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता की एक अहम भूमिका है लेकिन उनमें इस बात पर सहमति नहीं है कि प्राथमिकता किसे दी जाये। इस पूरे कार्यक्रम को या इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ खास कामों को।

वर्ष 1981 से 1990 के वर्तमान दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक घोषित किया गया है। इससे पहले आपूर्ति कार्यक्रम में स्वच्छता को भी शामिल करने पर ध्यान दिया गया। भारत सहित अनेक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के लक्ष्यों के अमल के लिए स्वीकार किया है और इसके अंतर्गत उन्होंने 1990 तक सभी के लिए पीने का साफ पानी और स्वच्छता की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। दुर्भाग्यवश, जल-आपूर्ति से जुड़े अधिकारी पर्यावरण की स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा की अहमियत पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान परम्परागत रूप से उपकरणों संबंधी इंजीनियरिंग की ओर ही केंद्रित रहता है। मौजूदा स्थिति में अधिकारी किसी योजना के चालू करने और कभी-कभी उसकी देख-रेख करने तक ही अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इससे आगे की समस्याओं या मुद्दों पर वे ध्यान नहीं देते। लेकिन पूरे समाज में इस बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है कि लोग महसूस करें कि साफ पानी एक महत्वपूर्ण और कीमती चीज है और उन्हें इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए पानी के इस्तेमाल में बर्बादी रोकी जानी चाहिए। फिर लोगों को पानी के प्रयोग से पूर्व उसका प्रदूषण रोकने की भी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा सुरक्षित जल आपूर्ति या पीने के लिए साफ पानी की सप्लाई के लिए भी उपाय किये जाने चाहिए।

सामाजिक-आर्थिक इकाई (सेयू) क्यों जरूरी हैं ?

केरल में पेयजल की योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकारी 15 वर्ष पुराने नक्शों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नक्शे ही सबसे नये उपलब्ध नक्शे हैं। इसका फल यह है कि ताजा जनसंख्या का विवरण, कमजोर वर्ग के लोगों की बस्ती, सड़क-उपभागों की स्थिति आदि के बारे में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप इन नक्शों के आधार पर तैयार योजनाएं समुचित ढंग से लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पातीं। इच-डेनिस योजनाओं के अंतर्गत तैयार अधिकांश पानी की पाइप लाइनें मुख्य सड़कों के आसपास ही बिछी हैं। इससे स्पष्ट है की भीतरी इलाकों में रहने वाले लोगों और उपमार्गों के निकट रहने वाले लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में समुचित जानकारी को बुनियादी प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी तथा जल आपूर्ति और स्वच्छता के कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये थे और उन पर क्रियान्वयन होना चाहिए था। बुनियादी सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए जब तक विकास की एक व्यापक रणनीति नहीं तैयार की जाती, तब तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का वर्गीकरण और निर्धारण सरकार और सहायता देने वाले देशों से प्राप्त

सीमित संसाधनों का घोर दुरूपयोग ही सिद्ध होगा।

इन्हीं मुद्दों को लेकर अंततः पानी और स्वच्छता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सामाजिक-आर्थिक इकाई (सेयू) की अवधारणा शुरू हुई। 1984 में नीदरलैंड और डेनमार्क दोनों देशों की सरकारों ने तीन सामाजिक-आर्थिक ईकाइयों के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्थित सहयोग का विकास करने के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू किया। इसी योजना के अंतर्गत केरल जल प्राधिकरण के मातहत एक समन्वय कार्यालय की स्थापना की गई। परियोजना क्षेत्रों में निर्धारित इकाइयों का प्रबन्ध त्रिवेंद्रम स्थित केरल जल प्राधिकरण के मुख्यालय से संबद्ध एक समन्वय कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये तीन इकाइयां उत्तर में कालिकट, मध्य में त्रिचूर और दक्षिण में क्वीलोन में हैं। डच-डेनिस सरकारों के पैसे से चलने वाली इन ईकाइयों की अवधि प्रारम्भ में तीन साल होगी। इस बात की संभावना है कि बाद में इन ईकाइयों को केरल जल प्राधिकरण से संबद्ध कर दिया जाएगा। व्यावसायिक क्षेत्रों में अंतर पाटने के लिए सेयू की इन तीन ईकाइयों में समाज विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक संगठनों के विशेषज्ञ लोगों को चुना गया है। सामाजिक-आर्थिक ईकाइयों के पीछे मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

— सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव सभी स्तरों पर महिलाओं को शामिल करने के लिए विशेष व्यवस्था करना।

— योजनाओं के क्रियान्वयन और कड़ी निगरानी और समुदाय के 90 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विस्तृत डिजाइन और रूपरेखा तैयार करना।

— कम खर्च के समुचित स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता कार्यक्रमों को तैयार करना।

— योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर मूल्यांकन के लिए आंतरिक निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था का विकास करना।

सामुदायिक भागीदारी क्यों जरूरी है ?

केरल में अधिकांश सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम विभिन्न समुदायों की भागीदारी या उनकी संबद्धता के बिना तैयार किये गये हैं। अधिकांश मामलों में आम आदमी विकास योजनाओं को संदेह की दृष्टि से देखता है और अक्सर विकास परियोजनाओं को अपना समर्थन देना पसंद नहीं करता क्योंकि अधिकाश योजना प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी की परिकल्पना होती ही नहीं — उन्हें उनसे बाहर रखा जाता है। 'विशेषज्ञ' अक्सर लोगों को वर्गों में बांटकर देखते हैं और समझते हैं कि आम आदमी को विकास की प्रक्रिया या नियमों की कोई जानकारी नहीं है, न ही वे उन्हें समझ सकते हैं। योजना बनाने वालों के इस दृष्टिकोण के कारण विभिन्न समुदायों में सरकारी कार्यक्रमों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। केरल के मामले में लोगों की भागीदारी के बारे में आवश्यक "फीडबैक" सूचना सुलभ नहीं है। तथाकथित सामुदायिक विकास के कार्यक्रम पूरी तौर पर असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें समुदायों की भागीदारी नहीं होती। इस प्रकार के कार्यक्रमों को लोग सरकारी कार्यक्रम के रूप में देखते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम का भी यही ढांचा है और इसमें स्थानीय अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी गई है। केरल में जनसंख्या पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभाव की सावधानी से जांच करने पर यह पाया गया है कि यहां परिवार कल्याण संबंधी सभी कार्यक्रम आदेशात्मक तौर-तरीके के हैं। इसी प्रकार केरल में विकास कार्यक्रमों का असंतोषजनक असर इस कारण है कि वहां स्थानीय-स्तर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का काम असंतोषजनक है और इसके प्रभावी प्रबन्ध/प्रशासन की पर्याप्त निगरानी नहीं होती। इसलिए केरल जैसे राज्य में यह जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों की गुणात्मकता और परिमाण में सुधार लाया जाये।

ऐसे ही अवसर पर सामाजिक-आर्थिक इकाई (सेयू) पानी और स्वच्छता कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी की बात कहती है। डच और डेनिश सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त जल आपूर्ति योजनाएं पूरी होने वाली हैं। इन योजनाओं का चयन 1982-84 में किया गया था। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश योजना क्षेत्रों में कार्यक्रमों के निर्धारण, तैयारी और डिजाइन में स्थानीय लोगों की कोई खास भागीदारी नहीं है। इनमें से सिवाय उन योजनाओं के, जो उत्तर में हैं, अधिकांश 1989-90 में चालू हो जायेंगी। सेयू को इस परियोजना के अंतर्गत जल आपूर्ति और सफाई की योजनाओं के अमल में बहुत कठिन और नाजुक मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। सरकार और योजना बनाने वालों को

यह महसूस करना होगा कि लोगों की बात सुनना और उनसे सीखना व्यावसायिक कार्यकुशलता लाने के लिए जरूरी है। लोगों की भागीदारी सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर यह केवल कहने भर की बात है, यथार्थ में उसे महत्व नहीं दिया जाता।

जल-आपूर्ति कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का तरीका वार्ड जल-समितियों का गठन हो सकता है। केरल में वार्ड सबसे छोटी प्रशासन इकाई होते हैं और प्रत्येक 2500 की आबादी पर एक वार्ड बनाया गया है। प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि यह तय करते हैं कि उनके इलाके में पानी का वितरण या सफाई की व्यवस्था कैसे की जाये। सेयू द्वारा समर्थित इस प्रकार की समितियां केरल जल प्राधिकरण तथा अन्य विभागों के सहयोग से काम करती हैं। इनमें महिलाओं को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाता है जो अधिकांश कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण और विविधतापूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं ही जल-संसाधनों का अधिकतर इस्तेमाल और देखभाल करती हैं और वे परिवार में सफाई की आदतें डाल सकती हैं। पानी लाने और जमा करने में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला श्रम और इसके लिए लगाये जाने वाले समय का कई प्रकार से सामाजिक-आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों पर असर पड़ता है। वार्ड-जल-समितियां सार्वजनिक नलों के स्थान तय करती है। वे ही मौजूदा जल प्राप्ति साधनों का सर्वेक्षण करती हैं, स्थानीय समस्याओं का पता लगाती हैं, सार्वजनिक शौचालयों की दूरी का निर्धारण करती हैं और सार्वजनिक नलों तथा शौचालयों की देखभाल और संचालन के बारे में लोगों को जानकारी देती हैं। ये समितियां इनका इस्तेमाल करने वालों और इनसे संबंधित विभिन्न संस्थाओं जैसे पंचायतों, केरल जल प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, स्वैच्छिक संगठनों आदि के बीच संपर्क और समन्वय कायम करती हैं। लेकिन ये पूरे समुदाय को तय करना होता है कि साधनों को देखते हुए कितने लोगों और इलाके को इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जायेगा। विकासशील देशों में गांवों के लोगों ने जल-परियोजनाओं में उत्साह के साथ भाग लिया है, क्योंकि संभवतया इनसे उन्हें अपने लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद रहती है।

स्वास्थ्य शिक्षा

आमतौर पर सभी लोगों पर परम्परा और संस्कृति का दैनिक स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर महत्वपूर्ण असर होता है। वार्ड जल समितियां जल-आपूर्ति योजनाओं को बनाने और उन पर अमल में निर्धारित क्षेत्र के लोगों की आदतों के बारे में उचित जानकारी सुलभ कराने का काम कर सकती हैं। पानी की सप्लाई और सफाई संबंधी किसी भी सुधरी हुई योजना के आरंभ, क्रियान्वयन और देखरेख में ये समितियां 'चेंज एजेंट' की भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में समुचित जानकारी, शिक्षा और संवाद का बड़ा महत्व है। लोगों में जागरूकता लाने और उनमें जिम्मेदारी का अहसास पैदा करने की जरूरत है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के कार्यक्रमों में सामुदायिक शिक्षक की आंतरिक व्यवस्था होनी चाहिए।

यद्यपि केरल में पर्यावरण की स्वच्छता और पानी की सफाई तथा शुद्धता कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पानी की सप्लाई और सफाई के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा की अपनी अहमियत है। यह खासतौर पर लोगों में घरों में पानी प्रयोग के मामले में वैज्ञानिक चेतना जगाने की दृष्टि से जरूरी है। अधिकांश छूतवाले और पानी से पैदा होने वाले रोग दूषित पानी के प्रयोग से होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत सफाई का अभाव और पर्यावरण की अस्वच्छता आदि का भी प्रभाव होता है। सेयू जल समितियों की सहायता से पानी और सफाई से संबंधित स्थानीय समस्याओं का पता लगायेगी और संबंधित विभागों में जरूरी संपर्क करेगी तथा सामुदायिक विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य अभियानों के संचालन का काम करेगी। गांव या समाज के कार्यकर्ता मामूली जरूरी सेवायें उपलब्ध करने के अलावा लोगों तक इस बारे में बुनियादी जानकारी पहुंचाने के माध्यम रूप में भी काम करेंगे।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की आदतों और विश्वासों के बारे में जिनसे उनके व्यवहार पर असर पड़ता है अध्ययन और जानकारी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। इससे आवश्यक जानकारी और सूचनाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में निम्न बातें होनी चाहिए :—

1. लोगों में हाथ धोने जैसी सफाई की आदतें कैसे डाली जायें।
2. कम से कम पानी और साबुन से हाथ कैसे धोयें।

3. आमतौर पर लोगों की स्थानीय आदतें और प्रवृतियां क्या हैं ? उदाहरण के लिए आम तौर पर यह माना जाता है कि बच्चों का मल निर्दोष होता है लेकिन यथार्थ में उनका मल वयस्क आदमी के मल की तुलना में अधिक संक्रामक होता है और यदि खुला छोड़ दिया जाए या नजदीक के कूड़ेदान में डाल दिया जाए तो वातावरण के जल्दी प्रदूषित होने का खतरा है।

स्वास्थ्य शिक्षा के जरिये प्राप्त जानकारी के उपयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए जरूरी कार्यवाही करने की जरूरत है। इसके लिए जिन कामों को हाथ में लिया जा सकता है वे हैं :—

1. मल विसर्जन,
2. जल-संग्रह, संग्रहण और उपयोग,
3. व्यक्तिगत सफाई,
4. कचरे, बेकार पानी आदि की निकासी (सीवेज प्रणाली) और
5. पानी से होने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय।

लोगों में सफाई और स्वास्थ्य संबंधी आदतों के विकास के लिए कार्यान्मुख और व्यावहारिक स्वास्थ्य—शिक्षा के कार्यक्रमों की जरूरत है। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करते समय इस उक्ति को याद रखना होगा कि सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की असफलता के लिए स्वास्थ्य-शिक्षा कार्यक्रम को बलि का बकरा बनाया जाता है। कार्यक्रमों की असफलता के लिए लोगों और कार्यकर्ताओं को दोष देना आसान है। योजना बनाने वाले और प्रशासक को कार्यक्रमों की जरूरतों, टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं के अनुरूप लोगों की आदतें बदलने का प्रयत्न करना चाहिए।

सफाई

अच्छे स्वास्थ्य और समाजिक-आर्थिक विकास के लिए सफाई सुधार एक बुनियादी जरूरत है। यह महसूस किया गया कि बिना पर्याप्त स्वच्छता उपायों के केवल पानी की सप्लाई योजनाओं के जरिये कोई खास उपलब्धि नहीं हासिल की जा सकती। सामाजिक-आर्थिक इकाइयों, अन्य संगठनों और पंचायतों के सहयोग से साफ-सफाई और इनसे संबंधित कई योजनाओं के अंतर्गत उचित टेक्नोलॉजी अपनाई जायेगी और कम लागत की सेप्टी टेंक वाले शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय और अन्य सहायता सुलभ कराई जायेगी। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वालों को इस सुविधा के लिए चुना जायेगा, लेकिन उन्हें शौचालयों के निर्माण की 25 प्रतिशत लागत देनी होगी। अन्य जरूरतमंद इलाकों में इन योजनाओं को लागू करने के लिए सेयू कम लागत की योजनाएं तैयार करेगी। इसके लिए सेयू केरल जल सप्लाई विभाग, पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों और निजी संस्थाओं से भी सहयोग की संभावनाओं का पता लगायेगी। चूंकि स्वास्थ्य शिक्षा और सफाई कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन्हें एक साथ लिया जा सकता है।

निगरानी और मूल्यांकन

पानी की सप्लाई और सफाई के कार्यक्रम का सामाजिक-आर्थिक महत्व है, इसलिए इनके बारे में निर्णय सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को देखते हुए ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ठोस निर्णयों के लिए पानी की सप्लाई और सफाई का स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में विश्वस्त जानकारी जरूरी है। कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक संगठित प्रक्रिया के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रह की व्यवस्था जरूरी है। इससे न केवल लक्ष्य प्राप्ति की और प्रगति का पता चला सकेगा, बल्कि कार्यक्रमों को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। चूंकि आधारभूत स्तर पर जानकारी उपलब्ध करने की व्यवस्था नहीं रही है, इसलिए आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। इसके लिए कहां-कहां पानी उपलब्ध है, जल-स्रोतों की दूरी, स्वास्थ्य सेवाओं, पेचिस जैसे रोगों, लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आदतों और जानकारी के बारे में विवरण प्राप्त किये जाएंगे। सेयू के कार्यक्रमों में प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक व्यापक नीति निर्धारित करने पर अतिरिक्त जोर दिया जायेगा अन्यथा एक जैसे समाधान ही सभी परियोजना क्षेत्रों में लागू किये जाने का खतरा होगा। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन में लागत कम रखने और अधिकतम लाभ लेने का दृष्टिकोण रखा जायेगा।

उपसंहार और निष्कर्ष

जैसाकि पहले कहा गया है पानी की सप्लाई और

स्वच्छता के कार्यक्रमों में प्रत्येक स्तर पर समाज के लोगों का सहयोग और उनकी प्रतिबद्धता के लिए सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को बराबर अहमियत दी जानी चहिए। इससे सार्वजनिक नल लगाने या शौचालय बनाने, उनकी देखरेख आदि में आने वाली समस्याओं के समाधान में बहुत मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी की निगरानी और उसका मूल्यांकन नितांत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए संबंधित समुदाय के कार्यकर्ताओं की पहचान और इन क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन और उनकी देखरेख में "चेंज एजेंट" के रूप में उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही लक्ष्य निर्धारित करते समय या उन पर अमल में सामाजिक जानकारी का अपना महत्व है।

यह उल्लेखनीय है कि सेयू के कार्यक्रमों से सरकार के विभिन्न विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और इन अनुभवों के आधार पर भविष्य के कार्यक्रमों की योजना तैयार करते समय नये दृष्टिकोण अपनाये गये हैं।

अनुवाद : श्री राम मिश्र,
1502, लोदी रोड कम्पलैक्स,
नयी दिल्ली 110003

चलें गांव की ओर

जानकी प्रसाद बड़थ्वाल 'भ्रमर'

सर सर सर सरिता बहती, झर झर झरते झरने,
जहां खेतों के चारों ओर पशु-पक्षी धरते धरने,
वन उपवन के कुंजों में, नाचते बहुरंगी मोर
करने उत्थान आज हम चलें गांव को ओर

सीढ़ीनुमा खेत जहां, नागिन-सी बल खाती नहरें
खेत-खेत में हलधर चलते भेद भाव न मन में ठहरे
टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी, चीड़, बुरांस के लम्बे तरुवर
पर्वत की उत्संग से झरते अविरल मंजुल निर्झर
जहां खुशहाली घर-घर है—जलता विकास का दीपक भोर
घुटन, उत्पीड़न, कलह से दूर चलें गांव की ओर

लहलहाती खेतों की बाली हिलमिल करती अभिनन्दन
लाही, अलसी, सरसों फूली महक रहे फलों से उपवन
उपजाती खेतों की माटी बासमती केशर सोना
दूध-दही से भरा हुआ है गांव-गांव का कोना-कोना
पीते हैं बाल-वृद्ध नवल नवेली भर-भर कर दौना

शांत शमा है गांवों में, झोपड़ियों में भगवान बसा है
खेती में अधिक उत्पादन को कृषक ने कमर कसा है
शांति मिलेगी पग-पग पर न कहीं शोर
छोड़ो शहरों का उत्पीड़न चलो गांव की ओर

सहायक विकास अधिकारी
उद्योग, सेवा व्यवसाय
विकास खण्ड चमोली

प्रजातन्त्र का आधार–सहकारिता

डा० राकेश अग्रवाल

16 अप्रैल 1959 को अपने भाषण में पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, "राजनैतिक तथा आर्थिक प्रजातन्त्र के मजबूत आधार के लिए हर गांव में शक्तिशाली पंचायत, अच्छा स्कूल एवं आर्थिक मामलों को देखने के लिए सहकारी समितियों का होना जरूरी है। गांवों के उत्थान में ही देश की प्रगति निहित है।"

सहकारिता और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है। प्राणी जगत में सहकारिता एक शाश्वत भाव है, जो जीवन के हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। भारत में तो सदियों से सामाजिक जीवन में सहकारिता व्याप्त रही है। यह सहकारिता ही भारतीयों की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बल बनी रही। महात्मा गांधी ने कहा था कि सहकारिता में बड़ा आकर्षण है, क्योंकि "परस्पर सहयोग से काम करने में दुर्बल-बलवान का भेद नहीं होता। सभी एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। यही प्रजातन्त्र की आत्मा है।" ग्राम पंचायतें सहकारिता, समन्वय और एकता को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पं. नेहरू सहकारिता को जीवन की एक पद्धति मानते थे। उनका कहना था कि सहकारिता का विचार सिर्फ इसलिए नहीं है कि उससे काम मितव्ययता और कुशलता के साथ होता है, वरन् इससे असमानता बढ़ने की बजाय समानता आती है। श्री बैकुण्ठ मेहता की दृष्टि में "सहकारिता शान्तिपूर्ण ढंग से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन करने एवं एक शोषण रहित, समानता पर आधारित व सहिष्णुता से युक्त सामाजिक-व्यवस्था शुरू करने का माध्यम है, जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा सामुदायिक हित में सामंजस्य स्थापित करती है।" वास्तव में सहकारिता की मूलभावना आर्थिक प्रजातन्त्र की पोषक है।

सहकारिता बनाम आर्थिक प्रजातंत्र

पंचायत गांवों की आत्मा होती है। इसी से नैतिक मूल्यों की स्थापना सम्भव है। सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है, जो समानता, स्व-सहायता, तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के आधार पर सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। इसीलिए सहकारिता आर्थिक प्रजातन्त्र का प्रमुख साधन कहा जा सकता है। देश में आर्थिक प्रजातन्त्र के निर्माण की प्रक्रिया में सहकारिता आन्दोलन के कार्य को योजना आयोग तथा सरकार ने महत्वपूर्ण माना है। सम्पूर्ण प्रजातन्त्र के लिए भारत जैसे कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पूर्ण देश के लिए पंचायतों का विकास जरूरी है।

आधुनिक सहकारी आन्दोलन पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण को दूर कर उसको सुधारने का प्रयास है। चार्ल्स जीड के अनुसार, "सहकारिता का अर्थ ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें सहयोग के द्वारा पूंजीवाद को हटाने का निर्देश हो।" समाजवाद के लिए व्यापक राष्ट्रीयकरण सरकार की निरंकुशता को जन्म देता है। अतः सहकारिता जिसमें आर्थिक क्षमता के साथ-साथ प्रजातान्त्रिक प्रशासन भी है, राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा अधिक उत्तम है। भारत के ग्रामीण समाज की संरचना में प्राचीन समय से ही सहकारिता और पंचायतों का सर्वोपरि स्थान रहा है। 'पंच परमेश्वर' के विचार ने ग्रामीण समाज को जोड़े रखने और अच्छी न्याय व्यवस्था देने में बहुत बड़ा योगदान किया है।

सहकारिता के अन्तर्गत पूंजीवाद एवं समाजवाद के समस्त गुणों का समावेश है किन्तु दोनों की बुराइयों का अभाव है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह मानवीय शोषण नहीं होता। पूंजी के स्थान पर इसमें व्यक्ति या समाज के हित चिन्तन को महत्व दिया जाता है और दूसरी ओर समाजवाद से

उत्पन्न राज्य की तानाशाही, नौकरशाही आदि बुराइयों का सहकारिता में अभाव है। आधुनिक समय में पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य मार्ग के रूप में सहकारितावाद का विकास हुआ है। वी.एस. भिड़े के मत में, सहकारिता व्यक्तिवाद तथा समाजवाद की शक्तियों की चरम सीमाओं के मध्य एक हितकारक मार्ग है। यह उन व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थक है जो न्याय तथा व्यक्तियों के उचित पारस्परिक व्यवहारों पर आधारित हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा दुर्बल व्यक्तियों का शोषण समाप्त करना हैं।

सहकारिता के सिद्धान्त

पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार, "सहकारिता द्वारा काम करना मानव-प्रवृत्ति के हर क्षेत्र में लाभदायक है।" सही रूप में देखा जाये तो सहकारिता के सिद्धान्त मानवीय मूल्यों पर पूर्णतया आधारित हैं। इसलिए सहकारिता आर्थिक प्रजातन्त्र के अधिक निकट है। सहकारिता के सिद्धान्त आर्थिक प्रजातन्त्र के उपकरण हैं। सामाजिक–आर्थिक परिवेश में इन सिद्धान्तों का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। ये सिद्धान्त सामाजिक न्याय से सह-सम्बन्ध रखते हैं :

1. ऐच्छिक सदस्यता : सहकारी समिति की सदस्यता पूर्णरूप से एच्छिक होती है। प्रत्येक सदस्य समिति की सदस्यता को स्वीकार करने और छोड़ने के लिए पूर्णरूप से स्वतन्त्र होता है। सदस्यता में जाति, धर्म, लिंग, राजनैतिक स्थिति या अन्य प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। सामान्यतया इसमें वे ही व्यक्ति सदस्य बनते हैं, जो समान आर्थिक उद्देश्यों को लेकर चलते हैं।

2. प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण : सहकारी समिति का स्वरूप लोकतान्त्रिक होता है। इसका निर्माण जनता द्वारा स्वयं जनता के लिए होता है। अतः इसमें सब समान स्तर पर संगठित होते हैं। इसके प्रजातान्त्रिक स्वरूप के निम्नलिखित आधार हैं–

- 'एक सदस्य एक वोट' के आधार पर प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है।
- प्रत्येक सदस्य को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है।
- निर्णय अंशों की बहुसंख्या के स्थान पर सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
- निर्वाचित अधिकारी सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- अंश-पूंजी पर लाभांश सीमित होता है।

सहकारिता की प्रजातान्त्रिक संरचना दो अंगों से बनती है – एक साधारण सभा और दूसरा संचालक मण्डल। लोकतान्त्रिक नियन्त्रण के कारण कोई भी व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग कर सदस्यों का शोषण नहीं कर सकता। सहकारी प्रबन्धक की जनतान्त्रिक प्रणाली में एक ओर जहां प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी अपने सक्रिय योगदान में तत्पर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबन्ध में भागीदार होने के नाते सदस्य भी संगठन की नीतियों, उनके क्रियान्वयन, व्यावसायिक क्रिया-कलापों तथा विकास की नवीन प्रवृत्तियों आदि के प्रति सचेत रहते हैं जिससे समिति में शोषण की सम्भावना नहीं रहती है।

3. पूंजी पर सीमित ब्याज : सहकारी संगठनों में मनुष्य की तुलना में पूंजी को गौण माना जाता है। इसमें सदस्य को पूंजी के आधार पर स्थान प्राप्त नहीं होता। सहकारी समिति में सदस्यों द्वारा लगायी गयी पूंजी पर सीमित दर से ब्याज दिया जाता है। एच. कलवर्ट ने कहा है, "सहकारिता में यह स्वीकार किया जाता है कि पूंजी को उचित ब्याज पाने का अधिकार है किन्तु उसका अर्थात् पूंजी का सत्ता या स्वामित्व से सम्बन्धित अन्य कोई अधिकार स्वीकार नहीं किया जाता।"

4. आर्थिक लाभ का समुचित वितरण : सहकारी समिति में सदस्यों को लाभांश उनके द्वारा समिति से किये गये लेन-देन के अनुपात में वितरित किया जाता है न कि उनके द्वारा लगायी गयी अंश-पूंजी के अनुपात में। इससे सदस्यों को समिति से अधिक कारोबार करने की प्रेरणा मिलती है। पूंजी के आधार पर होने वाले भेद-भाव की सम्भावना समाप्त हो जाती है।

5. सहकारी शिक्षा का प्रसार : प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था अथवा सहकारिता की सफलता के लिए उसके सदस्यों व जन-साधारण को सामान्य व सहकारी शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है। अतः सहकारी समितियों को अपने सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा आम जनता के लिए आर्थिक एवं लोकतान्त्रिक दोनों दृष्टियों से सहकारिता के सिद्धान्तों और तकनीकों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना जरूरी है।

6. सहकारी संस्थाओं में पारस्परिक सहयोग : सहकारिता के संगठनात्मक संरचना के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय, सहयोग और एकता जरूरी है जिससे समाज के कमजोर लोग भी आर्थिक अन्याय से संघर्ष कर सकें। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थित सहकारी संगठनों को अपने

(शेष पृष्ठ 15 पर)

ग्रामीण जल आपूर्ति—अभूतपूर्व सफलता

आर.के. ए. जसवानी

हमारे देश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, फिर भी पीने के लिए स्वच्छ जल का अभाव है। पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता का अंतर्राष्ट्रीय दशक अब अपने अंतिम चरण में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल की कमी और गम्भीर रूप ले लेती है। प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रदूषित जल के उपयोग से रोगी होते हैं और उनमें से कई की मृत्यु हो जाती है। बच्चे इन रोगों से खास तौर पर प्रभावित होते हैं। "2000 ईस्वी तक सब के लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो।

भारत की दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है। अतः गांवों में ही पेयजल सुलभ कराने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारतवर्ष तीसरी दुनिया के देशों में ऐसा पहला देश होगा जो दशक के अंत तक सारी आबादी को स्वच्छ पेयजल सुलभ करा सकेगा। सरकार के विशेष प्रयासों से ही ऐसा संभव हो सकेगा। नए 20 सूत्री कार्यक्रम में, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने पेयजल आपूर्ति को राज्यों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित किया था। तब से, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने देश के प्रत्येक गांव में साफ और रोगाणु मुक्त पानी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत धन खर्च किया है और भारत इस समय विश्व की सबसे ज्यादा लागत वाले ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। सन् 1986 से सरकार ने पेयजल आपूर्ति के कार्यक्रम को एक तकनीकी अभियान का स्वरूप दे दिया है।

इस तकनीकी अभियान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है — विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को जुटाना और संकटग्रस्त क्षेत्रों में उनका उपयोग करना, वैज्ञानिक संस्थानों, जल आपूर्ति प्राधिकरणों और सरकारी विभागों में पेयजल की उचित मात्रा में आपूर्ति के लिए संसाधन जुटाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

मुख्य समस्याओं की पहचान

तकनीकी अभियान ने 5 ऐसे विषयों की पहचान की है जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वे हैं : 1. जल-संरक्षण और रिमोट् सेंसिंग तकनीकों द्वारा जलभृतों को पुनः शुरू करना, 2. सन् 1990 तक 3,111 प्रभावित गांवों के जल से 'गाइनी वर्म' को समूल नष्ट कर देना, 3. प्रभावित गांवों में फलूओरोसिस पर नियंत्रण, 4. जल में खारेपन पर नियंत्रण, और 5. जल में पाए जाने वाले आवश्यकता से अधिक लौह तत्व को हटाना।

तकनीकी अभियान ने जल संरक्षण के लिए स्थान उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। गत वर्ष इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15 करोड़ रुपये निश्चित किए गए थे। वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए कैसे स्थान बनाए जाएं, इस सम्बंध में अपनी सिफारिशें देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में छत पर वर्षा का जल संरक्षित करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं।

तकनीकी अभियान के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के संजाल की वजह से आज 'गाइनी वर्म' के समूल नाश की संभावना बहुत बढ़ गई है। पिछली गणना में, 'गाइनी वर्म' से प्रभावित गांवों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है। 1984 में प्रभावित गांवों की संख्या 12,840 थी जो अब घट कर 3,111 तक आ पहुंची है।

जल में खारेपन पर नियंत्रण के लिए 1988-89 में लवणता को कम करने वाले 130 संयंत्र लगाए जाने थे और 1989-90 में 100 और संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों को लगाने के लिए 144 स्थानों का चुनाव कर लिया गया है। अब तक तटीय क्षेत्रों में, ऐसे 13 संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

जल में आवश्यकता से अधिक पाए जाने वाले लौह तत्व

के निष्कासन के लिए लौह तत्व का विनाश करने वाले 3500 संयंत्र लगाए जाएंगे। 3000 संयंत्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे तथा 500 संयंत्र तकनीकी अभियान की देखरेख में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान द्वारा लगाए जाएंगे।

मार्च, 1989 तक देश में 100 डीफलोरिडेशन संयंत्र लगा दिए गए हैं। कई स्थानों पर ऐसे संयंत्र लगाने की संभावना पर सर्वेक्षण किया गया जिनमें 119 स्थानों के बारे में विवरण प्राप्त हो चुके हैं।

संयुक्त प्रयास

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे वे त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग करें। 'द काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलाजी' ने गांवों में जल आपूर्ति के लिए 6.17 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.), सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों की गति तेज की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या से निपटा जा सके।

केन्द्र तथा राज्य सरकारें सुदूर क्षेत्रों में पीने के लिए स्वच्छ पानी सुलभ कराने पर विशेष महत्व दे रही हैं। गांवों को जल आपूर्ति का वृहद कार्यक्रम अब धीरे-धीरे प्रगति पर है। सातवीं योजना के प्रारम्भ में 1,61,722 गांवों में पेयजल का अभाव था। इनमें से 88,654 गांवों में अब पेयजल की समुचित आपूर्ति हो रही है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 26,460 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने में आंशिक सफलता मिली है। इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित 3,000 गांवों के अतिरिक्त, अन्य सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

31 जनवरी, 1989 तक ऐसे गांवों की संख्या 31,156 थी जहां पेयजल का स्रोत ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में ऐसे 6,516 गांव हैं, जो सर्वाधिक हैं। इसके बाद असम में 41,334, उड़ीसा में 3503; और तमिलनाडु में भी 267 ऐसे गांव हैं।

पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा प्रमुख राज्य है जहां ऐसे गांव अब नहीं हैं जिनमें पेयजल का कोई स्रोत नहीं हो। ऐसे समस्त गांवों को पूरी तरह या आंशिक रूप से, इस संकट से मुक्त कर दिया गया है। असम के अतिरिक्त, इस वर्ष के प्रारम्भ में, उत्तर-पूर्वी राज्यों में ऐसे गांवों की संख्या का विवरण निम्न है :

मणिपुर – 289; मेघालय – 1284
नगालैंड–256; मिजोरम - 1215
त्रिपुरा–878;

उत्तर–पूर्व में अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हरेक गांव में पेयजल का संकट पूरी तरह या आंशिक रूप से हल कर लिया गया है।

जल आपूर्ति योजनाओं को प्रभावी रूप से चलाने के लिए 'सामुदायिक सहयोग' की शुरूआत की गई है। त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली राशि के 10 प्रतिशत का उपयोग जल-शुद्धीकरण और जल आपूर्ति से संबंधित उपकरणों के रखरखाव पर किया जा सकता है।

भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग एक लाख हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सातवीं योजना के अंत तक देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10 लाख हैंडपम्प लगा दिए जाएंगे। भूतल जल का प्रबन्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सीमित साधन की उपेक्षा के परिणाम बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि भूतल जल के दुष्प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाएं। दुर्गम क्षेत्रों में इस बात पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।

भूतल जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा है जिसका बहुत सावधानी से भंडारण करना चाहिए। देश में उपलब्ध कुल भूतल जल का मात्र चार प्रतिशत ही पेयजल के रूप में ही उपयोग के लिए चाहिए। कुछ स्थानों पर भूतल जल से ली गई जल की मात्रा 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इससे बहुत-सी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं क्योंकि लम्बी अवधि तक इतनी बड़ी मात्रा में पानी निकालने से भूतल जल की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकेगी।

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने इस सम्बन्ध में कानून लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बिहार के 'डार्क एंड ग्रे' के रूप में वर्गीकृत छोटी सिंचाई योजनाओं की मंजूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अन्य राज्य अभी तक इस सम्बन्ध में कानून बनाने पर निर्णय नहीं कर सकें हैं।

रिग्स के बेहतर उपयोग के लिए कम्प्यूटरीकृत रिग मानिटरिंग सिस्टम की शुरूआत की गई है। प्रबन्ध सूचना व्यवस्था पर विशेष बल दिया जा रहा है। गांवों की पहचान अब संख्या के आधार पर न करके उनके नामों के आधार पर की जा रही है जिससे उन गांवों के प्रतिनिधि उनकी पुष्टि कर सकें।

तकनीकी अभियान ने देश के विभिन्न भागों में जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए, जिला स्तर पर 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई हैं। इनमें पूर्वोत्तर भागों के लिए बनाई जाने वाली 15 चल प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। अभियान द्वारा प्रयोगशाला में काम करने वाले सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जल के विश्लेषण के लिए आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए जा सकने वाले (पोर्टेबल) किट्स भी तैयार किए गए हैं जिससे कि उसी जगह जल का परीक्षण किया जा सके।

अभियान ने कुछ नीतियों की सख्त जरूरत महसूस की है जो निम्नलिखित हैं : राष्ट्रीय पेयजल बोर्ड की स्थापना, जल-प्रबन्ध के लिए कानूनों को बनाना, सभी सिंचाई परियोजनाओं में पेयजल का आरक्षण, भूभौतिकीय एवं भूजलीय सर्वेक्षण के बिना गहरे ट्यूब वैल लगाने का आदेश न देना, जिन क्षेत्रों में जल की कमी है उनमें ऐसी फसलों को प्रोत्साहन न देना जिनमें सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्रियान्वयन एजेंसियों और राज्य सरकारों पर नियंत्रण तथा सभी विभागों द्वारा एकीकृत प्रयास।

तकनीकी अभियान के अनुभव से यह बात प्रमाणित हुई है कि यदि कार्यक्रमों को योजनाबद्ध ढंग से लागू किया जाए और निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए तो कुल खर्चे में 30 प्रतिशत की या उससे भी ज्यादा की बचत की जा सकती है।

अभियान का यह प्रयास रहा है कि देश के वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के संसाधनों का उपयोग जल के स्रोत ढूंढने में किया जाए और तकनीकी का प्रयोग ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने में किया जाए। उपग्रह द्वारा प्राप्त चित्रों और व्यापक भूभौतिक खोजों से ड्रिलिंग में मिलने वाली सफलता की दर 60 प्रतिशत बढ़कर अब 90 प्रतिशत हो गई है।

लघु अभियान

अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई है वह है – 50 प्रोजेक्ट क्षेत्रों (लघु अभियानों) पर ध्यान केन्द्रित करके कम लागत वाली तकनीकों का विकास करना और इस तकनीकी जानकारी का उपयोग गांवों की समस्या दूर करने में करना।

जब यह अभियान शुरू हुआ था, उस समय राजस्थान की दशा सर्वाधिक दयनीय थी। राजस्थान में 5443 संकटग्रस्त गांवों में पहचान की गई थी। वर्ष 1986-87 में 1368 गांवों, 1987-88 में 1101 गांवों को और 1988-89 (31.1.1989 तक) में 1142 गांवों को समस्या मुक्त किया गया। शेष 1832 गांवों में सातवीं योजना की बची हुई अवधि में कार्य किया जाएगा। बाड़मेर और चूरू जैसे सूखे से प्रभावित जिलों में लघु अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कई रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल का संकट दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केन्द्र ने गंगानगर जिले के 633 संकटग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लिए 323 योजनाओं पर अपनी सहमति दी है। इन गांवों को राजस्थान नहर से जल मिलेगा।

इस वर्ष, 20,000 तक की आबादी वाले (1981 की जनगणना के अनुसार) छोटे कस्बों को 'ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.' योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। 50 कस्बों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई। इन योजनाओं में राज्य सरकारें आधा खर्च वहन करेंगी। इन कस्बों में जल आपूर्ति का संकट दूर करने के लिए कम लागत वाली तकनीकी का विकास किया गया है।

इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष विदेशी तकनीक और वित्तीय सहायता से कई नई ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं में आन्ध्र प्रदेश में 6,

केरल में 8, गुजरात में 3, उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान तथा उड़ीसा में एक-एक हैं। डेनिश इंटरनेशनल डेवेलपमेंट एजेंसी, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट अथारिटी और नीदरलैंड की सरकार ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता दी है।

अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर विशेष ध्यान

ऐसे क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है जहां अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। जिन 2090 गावों में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है, उनके सभी स्रोतों का 81 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 85 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध है। राष्ट्रीय पेयजल अभियान के तहत जन जातीय क्षेत्रों, पुमलिया (प.बंगाल), सिंहभुआनी (बिहार), साहिब गंज (बिहार), और मयूर गंज (उड़ीसा) और बुल्सर जिले में धर्मपुर ताल्लुका (गुजरात) को मिनी मिशन प्रोजेक्ट एरिया के अंतर्गत लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों को यह निर्देश है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में आने वाले स्रोतों का पता पहले लगाया जाए।

सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति और ग्रामीणों के लिए स्वच्छता कार्यक्रमों से होने वाले लाभ को तभी बनाए रखा जा सकता है जब जल स्रोतों के उचित रखरखाव, जल के संरक्षण और शुद्धीकरण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य आदि विषयों पर सभी ग्रामीणों में जागरूकता हो। अतः सरकार ने इस संबंध में जन समुदाय को शिक्षित करने के लिए सामाजिक संचार का एक सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया है। 'यूनीसेफ' के सहयोग से इन विषयों पर जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं, सेमिनार किए जाते हैं, रेडियो और दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं तथा वृत्त चित्र भी बनाए जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना भी ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का एक हिस्सा है। 1986-87 में ग्रामीण जन समुदाय का स्वास्थ्य स्तर सुधारने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय बनाकर यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

अनुवाद – श्रीमती मधुलिका पांडेय
सी-464, सैक्टर-19,
नोएडा, गाजियाबाद-201301

(पृष्ठ 11 का शेष)

सदस्यों तथा जन समुदाय के हित में हर सम्भव तरीके से व्यावहारिक सहयोग करना चाहिए।

पं. जवाहर लाल नेहरू की सहकारिता आन्दोलन और पंचायती राज के प्रति दृढ़ आस्था थी। उनके अनुसार सहकारिता न केवल आर्थिक गतिविधियों को सुसंगठित करने की प्रतीक है, वरन् जनतन्त्र में नागरिकों की भागीदारी के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का भी साधन है।

सहकारी प्रजातन्त्र पूर्ण प्रजातन्त्र

सहकारिता के सिद्धान्तों तथा व्यवहारों से स्पष्ट है कि सहकारी प्रजातन्त्र सही अर्थों में पूर्ण प्रजातन्त्र है। सहकारिता में सदस्य प्रजातान्त्रिक नैतिक आधार पर ही सम्बद्ध होते हैं। स्वयं सेवावाद के सिद्धान्त के द्वारा सहकारी प्रजातन्त्र को मार्गदर्शक शक्ति मिलती है। आर्थिक प्रजातन्त्र का विकास निर्बल वर्ग के विकास पर निर्भर करता है और सहकारिता निर्बल वर्ग को संरक्षण प्रदान करती है। सहकारिता ने सभी आर्थिक क्षेत्रों में पदार्पण करके आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना का प्रयत्न किया है। सहकारिता की कार्य-पद्धति द्वारा सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में प्रजातन्त्र के मूल्यों की स्थापना होने से पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थिति का निर्माण होता है।

सहकारी प्रजातन्त्र पर आर्थिक प्रजातन्त्र निर्भर है, किन्तु सहकारी प्रजातन्त्र को बनाये रखने के लिए सदस्यों का जागरूक होना जरूरी है। सदस्यों की उदासीनता ही सहकारिता के प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण के लिए घातक बन जाती है। फिर सहकारिता द्वारा आर्थिक प्रजातन्त्र की प्राप्ति मात्र सपना बन कर ही रह जाती है।

एस.एस.वी.(पी.जी.) कॉलेज
"हिमदीप" राधापुरी
हापुड़–245101 (उ.प्र.)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल : समस्या कम हुई

हरि विश्नोई

पीने का साफ पानी हमारी बुनियादी जरूरतों में से एक है। एक समय था कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की समस्या गहरी थी। बहुत से क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल या तो बहुत कम था या उपलब्ध ही नहीं था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो प्रयास खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में किए गए हैं उनसे पीने के पानी की दिक्कत बहुत हद तक दूर हो रही है। विशेष रूप से बीस सूत्री कार्यक्रम में सातवें सूत्र के अन्तर्गत पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी गांवों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो पेयजल आपूर्ति के साधन हैं उन्हें अच्छी दशा में रखने के लिए स्थानीय समुदायों की सहायता की जाएगी। खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पेयजल उपलब्ध हो।

खुद हमें पहल करनी होगी

पानी के अभाव में सभी जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गांवों के अलावा महानगरों तक में कभी-कभी पानी की कमी या जल प्रदूषण की शिकायतें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी है? हम लोगों में भी तो नागरिकता-बोध होना चाहिए कि जो उपलब्ध जल है, हम उसे बरबाद न करके उसका उपयोग उचित ढंग से करें। आज भी लॉन या किचन गार्डन में पड़े पाईप से पानी बहता रहता है और दूसरी ओर सार्वजनिक नल पर लम्बी कतारें पानी के इन्तजार में जूझ रही हैं। यही बात गांवों में भी है। पीने का पानी साफ रहे इसके लिए यदि सार्वजनिक रूप से जन चेतना जागृत की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं से साफ पानी मिल सकता है।

दूषित जल : रोगों का बुलावा है

पेयजल का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। गन्दा पानी पीने से ही गांवों में स्वास्थ्य की समस्या रहती है और लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जल ही औषधि है। वही रोगों का नाश करता है। अतः जल स्वच्छ होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यदि सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो तो अनेक संक्रामक रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और निर्धन लोग भी निरोग रह सकते हैं।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1201.22 करोड़ तथा राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 2253.25 करोड़ रुपये की राशि परिव्यय के लिए निर्धारित की गई है। योजना के अन्त तक समग्र ग्रामीण जनता को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार उच्च प्राथमिकता दे रही है। यही कारण है कि वर्ष 86-87 इस दिशा में उपलब्धियों का वर्ष रहा है। सातवीं योजना के शुरू में 5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। विशेष कर जहां समस्या गम्भीर है उन्हें पहले प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 87-88 में 50,570 समस्याग्रस्त गाँवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 85-86 में 45,248 गांवों को शुद्ध पेयजल के साधन उपलब्ध कराए गए जबकि लक्ष्य केवल 28,177 का था। इस प्रकार वर्ष 86-87 में भी 35,930 समस्या ग्रस्त गांवों को लक्ष्य से अधिक पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए स्रोत उपलब्ध कराए गए।

यह सभी प्रयास उचित रख रखाव के अभाव में व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं। इतनी बड़ी धनराशि लगाने के बावजूद भी समस्या न बनी रहे इस उद्देश्य से लागत मानदण्डों के बारे में मार्ग दर्शिकाएं जारी की गई हैं। राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चित किया गया है कि स्थान के चुनाव करने से लेकर बाद में रखरखाव तक में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाये। राज्य सरकारों को पेयजल साधनों के रखरखाव हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों में से 10 प्रतिशत राशि तक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है।

अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उनकी बस्तियों में पेयजल का स्रोत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास द्वारा गाँवों में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में किए जा रहे मूल्यांकन कार्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राप्त हो रहे लाभों का अलग से मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि आवश्यकतानुसार उसे गति प्रदान की जा सके।

पेयजल रोगाणु रहित कैसे करें ?

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा विकसित क्लोरिन टिकिया और एम्पुल बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं तथा इनका प्रयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। क्लोरिन टिकिया को पीस कर छने हुए पानी में डाल देते हैं और अच्छी तरह से हिला कर फिर आधे घण्टे के लिए छोड़ देते हैं। इससे पानी रोगाणु मुक्त हो जाता है। करीब दस बाल्टी पानी में क्लोरीन की आधी टिकिया बहुत होती है। एक परिवार के लिए मात्र पाँच नए पैसे प्रतिदिन खर्च करने पर ही स्वच्छ पेयजल मिल जाता है। कुछ राज्यों में छूत के रोगों से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में इन टिकियों का निःशुल्क वितरण भी करता है ताकि जल भण्डारित करते समय उनका लाभकारी उपयोग किया जा सके।

उत्तर-प्रदेश में युद्ध स्तर पर प्रयास

उत्तर प्रदेश देश के बड़े राज्यों में से एक है। सन् 1985 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वहां के 1,12,800 गांवों में से 78 हजार गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त थे। लेकिन तेजी से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वहां के 62,121 गांवों में अब पाइप लाइन तथा इण्डिया मार्क द्वितीय हैण्ड पम्पों से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

राष्ट्रीय विकास हेतु चलाए जा रहे बीस सूत्री कार्यक्रम के सातवें सूत्र के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से उत्तर-प्रदेश में ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत पेयजल के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करता है। हैण्ड पम्प निर्माण-उत्तर-प्रदेश जल निगम द्वारा तथा कुंए विकास खण्ड द्वारा बनाय जाते हैं। वर्ष 1971-72 से वर्ष 85-86 तक उत्तर प्रदेश में 52,384 कुओं 12,724 हैण्ड पंपों तथा 4407 डिग्गियों का निर्माण कराया गया। इसमें 3177.33 लाख रु. व्यय हुआ। उत्तर प्रदेश में जो हैण्ड पम्प लगाए गए हैं उनके रखरखाव और मरम्मत आदि की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को सौंपी गई है। इस कार्य के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभाओं को अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। निश्चय ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक सफल प्रयास होगा।

उत्तर प्रदेश पेयजल व्यवस्था प्रगति तालिका

वर्ष	गांवों का लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1982-83	1650	5619	390.5
83-84	8000	11654	144.4
84-85	8800	8188	93.8
85-86	3854	8827	229.0
86-87	5515	11997	217.5

एच–88 शास्त्री नगर
मेरठ (उ.प्र.)

अच्छे स्वास्थ्य के लिये पानी

अभय कुमार जैन

पानी के बिना जीवन असंभव है। वायु के बाद जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह है पानी। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है। लगभग दो तिहाई भाग जल है। हमारे रक्त में 90 प्रतिशत भाग और हमारी मांस पेशियों का लगभग 85 प्रतिशत भाग पानी है। पानी हमारे रहन-सहन, हमारे जीवन, यहां तक कि इतिहास को भी बदल देता है। पानी की कमी से खेती उजड़ जाती है, कल कारखाने नहीं लग पाते हैं और बस्तियां एवं गांव उजड़ जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सम्पूर्ण मानव सभ्यता पानी के किनारे अर्थात नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। आज भी यदि किसी वर्ष पूरी तरह बरसात नहीं होती है तो जन जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। शरीर की भीतरी सफाई और बाहरी चमक को बढ़ाने का पानी से अच्छा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

पानी शरीर को फुर्तीला बनाता है तथा शरीर की अत्यधिक गर्मी को शांत करता है। कब्ज होने के कई कारणों में से एक कारण यह भी है पर्याप्त मात्रा में पानी अथवा तरल पदार्थों की कमी। अतः कब्ज के रोगियों को पानी अधिकाधिक पीना चाहिए। दस्त की शिकायत हो तो सबसे आसान व घरेलू उपचार है खूब पानी पीना ताकि शरीर में तरल द्रव्य की कमी न हो। पानी से रक्त भी तरल बनता है जिससे रक्त प्रवाह अच्छा होकर प्रत्येक कोशिका को सुदृढ़ जीवन प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। भोजन को घोलने के लिये पानी अत्यन्त आवश्यक है। जले अंग को तुरंत साफ ठंडे पानी की धार में रखें, ज्यादा जल गया हो, तो जले हुए स्थान को धोकर साफ वस्त्र बांधे। बुखार होने पर दिन भर कम से कम 5-7 गिलास पानी अवश्य पीयें। यदि दर्दनाशक दवाइयां या अन्य दवाइयां खाई जा रही हैं तो इससे दवाई आसानी से अमाशय में घुलकर शरीर में फैल सकेगी। वायरस और बैक्टीरिया भी पसीने और मूत्र के रूप में शरीर द्वारा बाहर निकाले जा सकेंगे। गर्मी के दिनों में जब भी घर से बाहर आये तो भर पेट पानी पी लें। आपको लू लगने का डर कदापि नहीं रहेगा।

गालों या माथे पर 10 मिनट गर्म और ठंडे पानी की पट्टियां रखने से नज़ले का सिरदर्द कम हो जाता है। यह दिन में चार पांच बार करें। एलर्जी के कारण जुकाम हो आंख-नाक से पानी आता हो तब भी शरीर में तरल द्रव्य की पूर्ति के लिये जितना संभव हो पानी पीयें। गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त मात्रा में तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है अतः उन्हें दूध की पर्याप्त मात्रा बनाये रखने के लिये अधिक पानी अथवा तरल पदार्थ लेना चाहिये। चिकित्सकों की मान्यता है कि अधिक पानी पी लेने का खतरा बहुत कम है क्योंकि अधिक पानी की मात्रा मल, श्वसन व पसीने के माध्यम से निष्कासित हो जाती है।

प्रचुर मात्रा में पानी के सेवन से गुर्दे क्रियाशील रहते हैं जिससे पथरी जैसे रोग की संभावना क्षीण हो जाती है। मोटापा दूर करने का सबसे अच्छा व कारगर उपाय यह कि खूब पानी पिया जाये। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिये पानी बहुत ही आवश्यक है।

तृप्ति, बंबा रोड
भवानी मंडी (राज.)

ग्रामीण सामुदायिक जल आपूर्ति

एम. नागेश्वर राव
वीरशेखरप्पा

मनुष्य की तीन आधारभूत आवश्यकतायें हैं-वायु, जल, तथा भोजन। अगर उसे वायु न मिले तो उसका प्राणांत तीन मिनट में हो सकता है। जल के बिना उसके प्राण पखेरू तीन दिन में उड़ सकते हैं, भोजन के बिना उसकी जीवन लीला तीस दिनों में समाप्त हो सकती है। समय के साथ-साथ भोजन की कमी के कारण मनुष्य को जगह-जगह भटकना पड़ा, नये-नये साधन खोजने पड़े। धीरे-धीरे प्रकृति की अमूल्य देन जल की भी उसे कमी होने लगी। पर्याप्त व उपयुक्त जल की तलाश में वह फिर इधर-उधर निकलने लगा। लेकिन जल की कमी उसे भोजन की तुलना में इतनी चिंताजनक रूप से नहीं हुई थी। जल के संसाधन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवश्य विद्यमान थे। केवल उन पर पहुंचने का प्रयास अनिवार्य था जबकि भोजन के लिये हाथ-पैर मारना नितांत अनिवार्य था।

धीरे-धीरे खाद्य पदार्थ बिक्री का सामान बन गये। दूसरी ओर जल की उपलब्धि एक सार्वजनिक संसाधन का रूप धारण करने लगी और फिर उसके उत्पादन, संग्रह, सफाई व इसकी आपूर्ति राज्य का उत्तरदायित्व बन गयी। अब जनता को साफ, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना पूरी तरह से प्रशासन का काम है।

साफ पानी की इस आपूर्ति में लागत बहुत अधिक आती है। अतः यह स्वाभाविक है कि इस खर्च करने के लिये धन भी जनता से, पूरा अथवा आंशिक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाये। यह भी उचित ही है कि शहरों में लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के कारण जल आपूर्ति के लिये शुल्क दें जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आरंभ में जल आपूर्ति सामुदायिक सेवा के रूप में निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये। इस कारण नगरीय व ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का मूल्यांकन अलग-अलग होना अपरिहार्य है। इस लेख में हम कर्नाटक को अध्ययन आधार मानकर क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमने इन कार्यक्रमों के सामाजिक अथवा आर्थिक प्रभावों अथवा परिणामों को इसमें शामिल नहीं किया है।

कर्नाटक राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग द्वारा पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नियोजित, अभिकल्पित व कार्यान्वित किये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति निश्चित संसाधनों जैसे बोरवैल हैंडपंप, मिनी-जल आपूर्ति योजनाओं व पाइपों से की जाती है।

राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1970-71 में आरंभ किया गया था। लेकिन 1975-76 तक यह कार्यक्रम धीमा रहा। तब तक देश में 'पानी की समस्या वाले गांवों' की अवधारणा लागू हो गयी थी। राज्य में ऐसे गांवों में पानी पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया गया। राज्य के कुल 27,028 गांवों में से 20,003 गांवों को समस्याग्रस्त माना गया। इसके लिये मापदंड निम्नलिखित थे।

i) वे गांव जहां पानी का कोई स्रोत नहीं है अथवा पानी भूमि में कम से कम 50 फुट से नीचे है अथवा पानी का स्रोत गांव में 1.6 कि.मी. से अधिक दूर है। (16,764 गांव)
ii) वे गांव जहां का पानी खारा है। (3,037 गांव)
iii) वे गांव जहां के पानी से बीमारी का खतरा है। (202 गांव)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को कुछ महत्त्व दिया गया और इसके अंत तक इनमें से एक तिहाई गांवों में पानी का कम से कम एक संसाधन उपलब्ध करा दिया गया था।

छठी योजना में ही "अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति व

स्वच्छता दशक 1981-90" आरंभ हुआ। इस दौरान राज्य में बाकी सभी समस्याग्रस्त गांवों में भी पानी का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करा दिया गया तथा साथ ही अन्य संसाधनों से भी पानी की उपलब्धता में वृद्धि लायी गयी।

नये जल संसाधनों की उपलब्धता से पूर्व गांवों में लोग असुरक्षित व परम्परागत स्रोतों जैसे खुले कुओं, तालाबों, पोखरों, नदियों, नहरों और नालों आदि से पानी लेते थे।

पीने के पानी के लिये बोरवैल अथवा हैंडपंप लगा देने से ही प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। संसाधन सफल तभी माने जाते हैं जब वे पूरी क्षमता तक पानी उपलब्ध करायें व लगातार चालू रहें। लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह आवश्यक नहीं कि सभी संसाधन चालू हालत में रहें। कुछ संसाधनों को समय-समय पर मरम्मत व देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है।

यद्यपि प्रशासन का पहला काम यह है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करे पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि निरंतर सामुदायिक उपयोग के लिये इन परिसम्पत्तियों की समुचित देखभाल होती रहे। जल के सुरक्षित साधनों को उपलब्ध करा देने पर लोग इनका निरंतर उपयोग करते हैं, इसलिये इनकी देखभाल व मरम्मत की तरफ पूरा ध्यान देना नितांत आवश्यक है। शहरों में पानी की सप्लाई पाइप से होती है और गंदे पानी तथा बरसात के पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था होती है जोकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने के पानी के प्रत्येक स्रोत पर न्यूनतम सफाई सुरक्षा होना आवश्यक है। इसके लिये प्रत्येक जल संसाधन वाला स्थान ऊंचा होना चाहिये ताकि वहां से प्रयुक्त पानी की निकासी की व्यवस्था हो सके और वहां बेकार पानी रुकने न पाये, इस पानी को सोखने वाले गढ्ढे होने चाहियें। जल संसाधन के करीब पानी इकट्ठा न होने पाये, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

पीने के साफ पानी के साधन लोगों को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। बोरकुआं अथवा हैंडपंप जैसे जल संसाधन लगाना इसका एक उदाहरण है। कर्नाटक में ग्रामीण जल सप्लाई के काम में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। नये सुरक्षित जल संसाधनों से समुदाय के स्वास्थ्य और वहां की सफाई पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही वहां विशेषकर स्त्रियों, बच्चों और अन्य लोगों को पानी के कारण जो परेशानी उठानी पड़ती थी, उससे उन्हें राहत मिली है। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आधार पर कुछ सुझाव यहां दिये जा रहे हैं

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बोरकुआं, हैंडपंप जैसे जल संसाधन कुछ वर्षों तक दो कारणों से बहुत उपयुक्त हैं। पहला तो यह कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये पुराने असुरक्षित जल संसाधनों की अपेक्षा ये बेहतर हैं। दूसरे इन पर लागत भी अधिक नहीं आती।
2. जल के अन्य संसाधन जैसे पाइप से जल सप्लाई जैसी योजनायें अधिक लागत वाली होने के कारण तभी आरंभ की जा सकती हैं जब लोग स्वयं इस खर्च में भागीदारी के लिये तैयार हो जायें। इन योजनाओं के साथ गंदे पानी की निकासी, सफाई आदि योजनायें भी जुड़ी हुई हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई की दृष्टि से इन पर भारी लागत आती है, इसलिये इनके बारे में दीर्घ अवधि की योजना की आवश्यकता है।
3. जल संसाधनों की देखरेख व मरम्मत आदि की व्यवस्था को भी चुस्त बनाने की आवश्यकता है। इसका एक उपाय तो यह है कि यह जिम्मेदारी ग्रामीण समुदाय को सौंप दी जाये और किसी स्थानीय आदमी को यह काम विशेष तौर पर सौंप दिया जाये ताकि मामूली मरम्मत आदि का काम वह तुरन्त कर सके।
4. जल उपलब्धता कितनी पर्याप्त है इसके लिये प्रत्येक जल संसाधन तक पहुंच वाली आबादी की संख्या को आधार मानना उचित नहीं है क्योंकि हर समय औसतन 20 प्रतिशत संसाधन ठप्प पड़े रहते हैं और 13 प्रतिशत अन्य संसाधन चालू तो होते हैं पर उनका पानी उपयोग लायक नहीं होता। अतः प्रत्येक 'चालू जल संसाधन' से कितनी आबादी लाभान्वित हो रही है, इसे उपलब्ध जल की पर्याप्तता का आधार मानना चाहिये।
5. जल संसाधन एक सार्वजनिक सेवा है। इसका उपयोग सबके लिये समान रूप से होना चाहिये। यह किसी वर्ग अथवा जाति विशेष के उपयोग तक सीमित नहीं है। परन्तु जो वास्तविक स्थिति हमारे यहां मौजूद है वह सामाजिक न्याय व समानता के राष्ट्रीय लक्ष्य में अभी भी बाधा बनी हुई है। केंद्र व राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों जैसे पिछड़े वर्गों के आर्थिक व सामाजिक

(शेष पृष्ठ 25 पर)

कलकत्ता में पंचायती राज सम्मेलन

संसद और राज्य के स्तर पर हमारे प्रजातन्त्र के वो स्तम्भ हैं जो बहुत शक्तिशाली और भली प्रकार स्थापित हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि निचले स्तरों पर ऐसा सम्भव नहीं हो सका है। हम पंचायत स्तर, समिति स्तर और जिला स्तर पर प्रजातान्त्रिक ढांचे को मजबूत बना कर ही विधान सभाओं और संसद में सुदृढ़ता ला सकेंगे।

राजीव गांधी

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पंचायती राज सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उत्तरी-पूर्वी राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। श्री राजीव गांधी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति आज अच्छी नहीं है। उनकी कुछ खास समस्यायें हैं जो हर राज्य में अलग-अलग हैं। आदिवासियों की समस्याएं भिन्न हैं। आम स्थिति यह है कि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, उन्हें पूरी तरह से इन संस्थाओं में शामिल नहीं किया जाता और इसका परिणाम यह होता है कि विकास के लाभ कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पाते। पंचायती राज में एक मुख्य बात यह होनी चाहिए कि कमजोर वर्गों को इन संस्थाओं में शामिल किया जाए और इस प्रणाली को अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लाभ के लिए काम करने योग्य बनाया जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समस्या यह है कि ऐसे लोग जो अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, वे भी इन जातियों के प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेते हैं, हमें इसे ठीक करना होगा। आदिवासियों की एक खास समस्या है—शिक्षा। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की भी समस्याएं हैं, इन्हें प्रभावशाली ढंग से सुलझाना है ताकि विकास का काम ठीक ढंग से हो सके।

पंचायती राज का उत्तरी-पूर्वी राज्यों और पूर्वी राज्यों का यह दूसरा सम्मेलन 3 से 7 अप्रैल, 1989 को कलकत्ता के साल्ट लेक स्टेडियम में सम्पन्न हुआ। पहला सम्मेलन 27 से 30 जनवरी, 1989 को दिल्ली में हुआ था। कलकत्ता सम्मेलन में 9 राज्यों और एक केन्द्रशासित क्षेत्र से आए 1307 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें 70 महिलायें थीं।

3 अप्रैल, 1989 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जिनका पहले सायंकालीन सत्र में भाग लेने का कार्यक्रम था, अपने अन्य कार्यक्रम रद्द करके उद्घाटन समारोह में ही भाग लेने आए। समारोह की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ० असीम दासगुप्ता ने की। समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री भजन लाल, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री पी.ए.संगमा, नगालैण्ड के मुख्यमंत्री श्री एस.सी. जमीर, मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालथन हावला, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री आर.के. जयचन्द्र सिंह, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री नरबहादुर भण्डारी, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गेंगांग अपांग और अण्डेमान निकोबार द्वीपसमूह के उप-राज्यपाल श्री ओबराय ने भाग लिया।

डॉ. दासगुप्ता ने उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास के लिए प्रजातांत्रिक ढंग से

योजना बनाने का सही अर्थ तभी होगा यदि योजना बनाने और उन्हें लागू करने का काम आम लोगों को सौंपा जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंचायती राज संस्थाओं का श्रेणीगत विभाजन आम आदमी की जरूरतों को पूरा कर सकेगा।

सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री के पधारने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में आम आदमी की जरूरतों की ओर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछले 12 वर्षों में बंगाल सरकार ने आम लोगों के हितों का विकास करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि उनके राज्य में पंचायतों के चुनाव 18 वर्ष के अन्तराल के बाद 1978 में हुए थे और तब से यह बराबर हर पांच साल के बाद हो रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं की एक विशेषता यह है कि ये छोटे किसानों और निचले तबके के 85 प्रतिशत सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन निकायों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिएं और राज्य में वर्तमान प्रबन्धों और संस्थाओं में कोई तब्दीली न की जाए तो बेहतर होगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री भजन लाल ने कहा कि हमारे युवा प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया है कि गांधीजी और नेहरूजी का जो स्वप्न था कि आम आदमी का भविष्य ठीक करने के लिए गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाने चाहिएं, पिछले ढाई वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी इसी कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने पहले कलेक्टर्स की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि किस तरह से ग्रास रूट लेवल से, नीचे से पंचायतों को मजबूत कर सकते हैं, कैसे उनकी शक्तियां दे सकते हैं। किस तरह से हम आदिवासियों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, क्या अधिकार देकर और हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं, उनको पंचायतों के जरिए इम्पलीमेंट कराया जाए।

मेघालय के मुख्यमंत्री श्री पी.ए.संगमा ने सम्मेलन का ध्यान उत्तर-पूर्वी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के ठीक प्रकार से गठन किए जाने के बारे में बनाई गई अनौपचारिक समिति की सिफारिशों की ओर दिलाया। उन्होंने बताया कि समिति की अंतरिम रिपोर्ट तैयार है जिसमें तीन बातों पर बल दिया गया है :—

(1) पर्वतीय क्षेत्रों में देश की पंचायती राज की प्रणाली को लागू करना उचित नहीं होगा।

(2) यहां तक कि उत्तरी-पूर्वी राज्यों में भी प्रशासन की प्रणाली एक राज्य की दूसरे राज्य से अलग-अलग है।

(3) मेघालय और नगालैण्ड में वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, मिजोरम में ग्राम परिषद प्रणाली को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए।

नगालैण्ड के मुख्यमंत्री श्री एस.सी.जमीर ने बताया कि हालांकि अन्य राज्यों की भांति नगालैण्ड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, यहां लम्बे समय से परम्परागत ग्राम परिषदें हैं। उन्होंने महसूस किया कि अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता के कारण वर्तमान परम्परागत प्रणालियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्हें पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालथन हावला ने कहा कि मिजोरम के सम्बन्ध में यह जरूरी है कि ग्राम परिषदों की भूमिका को मजबूत बनाया जाए जोकि राज्य की एक सामाजिक परम्परा के रूप में कार्य कर रही हैं। वे सामाजिक, राजनीतिक तथा कल्याण कार्यों और उद्देश्यों को विकेन्द्रीकृत रूप में पूरा करने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 622 ग्राम परिषदें हैं और सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर होता है और इनकी अवधि 3 वर्ष की होती है। परिषदें अनेक कार्य करती हैं जिन्हें वहां की जनता अपने रीति-रिवाज के रूप में स्वीकार करती है और उनका पालन करती हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री आर.के. जयचन्द्र सिंह ने कहा कि ग्राम स्तर पर योजना बनाने की मशीनरी में सुधार करने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि आर्थिक विकास के लाभ आम आदमी तक पहुंचें। इसके लिए योजनायें व्यावहारिक होनी चाहिएं और उनमें अलग-अलग जिलों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। मणिपुर जैसे छोटे राज्य में जिला स्तर पर योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री नरबहादुर भण्डारी ने कहा कि सिक्किम में पंचायत प्रणाली काफी पुरानी है और यह 1965 के अधिनियम से भी पहले से विद्यमान है। इस प्रणाली

को ग्राम के बुजुर्ग लोगों की सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक भूमिका के कारण पुनर्जीवित किया जा सका है। उन्होंने कहा कि इस वर्तमान प्रणाली में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के रूप में दो स्तर पर्याप्त रहेंगे। जिला परिषद के 1991 तक अस्तित्व में आ जाने की आशा है।

अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गेगांग अपांग ने विकेन्द्रीकरण और निचले स्तर पर योजना बनाने के विचार का स्वागत किया। उन्होंने सम्मेलन को सूचित किया कि अरूणाचल प्रदेश में शीघ्र ही जिला स्तर पर योजना बनाने का कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने यह विचार रखा कि पूरे देश में पंचायती राज का ढांचा एक जैसा होना चाहिए। उन्होंने पार्टी आधार पर चुनाव कराये जाने का भी पक्ष लिया।

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के उप-राज्यपाल लेफ्टीनेंट जनरल श्री ओबराय ने पंचायती राज प्रणाली का स्वागत किया और प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संकल्पना को दोहराया और उन्होंने महसूस किया कि पंचायतों के चुनाव गैर-पार्टी आधार पर होने चाहिएं।

उद्घाटन सत्र के बाद प्रतिनिधियों की चर्चा के सत्र आरम्भ हुए और लगातार 5 दिन के दौरान लगभग 200 प्रतिनिधियों ने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार रखे। इन वक्ताओं में 30 महिलायें थीं।

प्रतिनिधियों के बीच विचारों का स्वतंत्र और स्पष्ट आदान-प्रदान हुआ जिन्होंने परम्परागत प्रणाली और पंचायती राज प्रणाली दोनों को प्रस्तुत किया। प्रतिनिधियों के विचारों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि वे अपने विशेष अस्तित्व और परम्परागत प्रणालियों को बनाए रखना चाहते हैं जो उत्तर-पूर्व के अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। उन्होंने विकास कार्यों के लिए पंचायती राज प्रणाली के अधीन मोटे तौर पर दो-स्तरीय ढांचे को जारी रखने का समर्थन किया। हालांकि अरूणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली का पक्ष लिया। जबकि नगालैण्ड के प्रतिनिधियों ने अपने ग्राम विकास बोर्डों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने इस बात की जोरदार मांग की कि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाए।

मोटे तौर पर उभर कर आई राज्य-वार आम राय निम्नलिखित है :—

अरूणाचल प्रदेश

पूरे देश के लिए पंचायती राज ढांचे की एक समान तीन-स्तरीय प्रणाली का पक्ष लिया गया जिसके लिए पार्टी आधार पर चुनाव होने चाहिएं। परम्परागत संस्थाओं के बने रहने का भी समर्थन किया गया।

चुनाव, चुनाव आयोग की देखरेख में होने चाहिएं। उनके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष हो।

मणिपुर

उनके भौगोलिक दृष्टि से दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। मैदानी इलाकों में 1976 में पंचायती राज ढांचे की तीन-स्तरीय प्रणाली बनाई गई थी और वहां के प्रतिनिधियों ने उसी का समर्थन किया। पर्वतीय क्षेत्र में, ग्राम प्राधिकरण और एक जिला परिषद वाला दो-स्तरीय परम्परागत ढांचा है। उसको जारी रखने का समर्थन किया गया। हालांकि यह महसूस किया गया कि मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाए।

छोटा राज्य होने के कारण यह जरूरी नहीं समझा गया है कि जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत आयोजना हो अथवा धनराशि की सुपुर्दगी की देखरेख के लिए एक वित्त आयोग नियुक्त किया जाए।

चुनावों की देखरेख चुनाव आयोग द्वारा होनी चाहिए और इनका कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए। संवैधानिक संशोधन को आवश्यक माना गया। चुनाव गैर-पार्टी आधार पर होने चाहिएं।

सदस्यों के रूप में कमजोर वर्गों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का पक्ष लिया गया। डी.आर.डी.ए. व डी.पी.डी.सी. और यहां तक कि नगरपालिकाओं का भी जिला परिषद में विलय कर दिए जाने का सुझाव दिया गया, जहां कलेक्टर की भूमिका जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी के रूप में हो।

मेघालय

वर्तमान आदिवासी तथा प्रजातांत्रिक संस्थाएं कायम रहनी चाहिए। पंचायती राज की संकल्पना का पक्ष लिया गया, लेकिन यदि इस विषय को समवर्ती सूची में लाया गया

तो यह मत व्यक्त किया गया कि राज्य सरकारों को अपने प्रबन्ध करने की शक्तियां होनी चाहिए। विकास, सामाजिक और कल्याण के कार्य करने वाली ग्राम परिषद की वर्तमान परम्परागत प्रणाली और जिला परिषद को जारी रखने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की बात कही गई। यह कहा गया कि पूरे देश में एक समान प्रणाली नहीं होनी चाहिए।

नगालैण्ड

पंचायती राज प्रणाली उनके प्रदेश में विद्यमान नहीं है। यह कहा गया कि उनके परम्परागत सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को देखते हुए, अन्य राज्यों की तरह नगालैण्ड में भी पंचायती राज ढांचा लागू करने की बजाय ग्राम विकास बोर्ड और एरिया कौंसिल के साथ-साथ ग्राम परिषद की एक तीन-स्तरीय प्रणाली और एक जिला आयोजना बोर्ड कायम रहना चाहिए। स्थानीय निकायों का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका की आवश्यकता नहीं समझी गई और यह महसूस किया गया कि चुनाव गैर-पार्टी आधार पर होने चाहिए। सदस्यों के आरक्षण पर बल दिया गया। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय संस्थाओं को अधिक धनराशि और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।

सिक्किम

उन्होंने ग्राम पंचायत और जिला परिषद के पंचायती राज के दो-स्तरीय ढांचे का समर्थन किया। दूसरे स्तर के 1991 तक अस्तित्व में आ जाने की संभावना है। 5 वर्ष के कार्यकाल का समर्थन किया गया। अपनी पंचायती राज प्रणाली में दलगत राजनीति के हस्तक्षेप को उचित नहीं माना गया। झुमसा के परम्परागत आदिवासी निकाय प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे हैं और उन्हें जारी रखा जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि पंचायती राज के मामले में राज्य को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्थानीय निकायों के सदस्यों के रूप में अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण का समर्थन किया गया। कलेक्टर को जिला परिषद का सदस्य रखने को तरजीह दी गई। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए।

त्रिपुरा

राज्य के छोटे आकार को देखते हुए, आमतौर पर ६ स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया गया। कहा गया कि चुनाव प. र्टी आधार पर होने चाहिए और उनकी देखरेख चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए। सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर और अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण पर बल दिया गया।

उड़ीसा

उड़ीसा में पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली है और जिला परिषद के पुनः स्थापित किए जाने का समर्थन किया गया। इस बात पर मतभेद था कि चुनाव सीधे होने चाहिए अथवा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, इसमें ज्यादातर प्रतिनिधियों की राय थी कि पंचायत के सदस्य और सरपंच तथा समिति के अध्यक्ष का चुनाव सीधे तौर पर हो सकता है। लेकिन इससे ऊपर के स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। उन्होंने पांच वर्ष के कार्यकाल का समर्थन किया और आमतौर पर महसूस किया कि पंचायतों के चुनाव गैर-पार्टी आधार पर होने चाहिए जबकि ऊपर के दो स्तरों के चुनाव पार्टी के आधार पर हो सकते हैं। बहुत से प्रतिनिधियों ने विशेष तौर पर पंचायत स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। डी.आर.डी.ए., जिला आयोजना बोर्ड आदि जैसे संगठनों को जिला परिषद में मिला दिया जाना चाहिए। जबकि नगरपालिकाओं और जिला परिषदों में अधिक तालमेल की आवश्यकता है। इस बात पर बल दिया गया कि योजना बनाने का काम निचले स्तर से शुरू होना चाहिए। पंचायती राज ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि समय-समय पर राज्य स्तर पर वित्त आयोग गठित किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल

पंचायतों को शक्तियों की सुपुर्दगी की सफलता के लिए भूमि सुधार पहली आवश्यकता है। तीन स्तरीय ढांचे का समर्थन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के लिए सीधे चुनाव होने चाहिए लेकिन अध्यक्ष का चुनाव अलग-अलग स्तर पर चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। आरक्षण के सम्बन्ध में यह महसूस किया गया कि यदि कमजोर वर्ग आम चुनाव में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तब सम्बंधित पंचायत द्वारा उनकी नामजदगी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जबकि विकास कार्यों में जिला परिषद की सर्वोच्चता पर बल दिया गया। कलेक्टर और प्रशासन के

इसके साथ और अन्य पंचायती राज निकायों के साथ आपसी सम्बन्धों की मार्फत सम्पर्क स्थापित रहना चाहिए। यह महसूस किया गया कि भारत सरकार को कोई कठोर विनियम नहीं थोपने चाहिएं अथवा कोई केन्द्रीय मार्गदर्शिकायें लागू करके दबाव नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि देश में अलग-अलग किस्म के राज्य हैं जिनका असमान विकास हुआ है। इसकी बजाए राज्यों को अपनी उपयुक्त प्रणाली तैयार करनी चाहिए और चुनाव आयोग को पंचायतों के चुनाव नहीं कराने चाहिएं।

अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह

उन्होंने एक तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का समर्थन किया है जिसमें पंचायतों के चुनाव गैर-पार्टी आधार पर होने चाहिएं। विकास कार्यों में पंचायतों को पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

समापन समारोह

समापन समारोह में प्रधानमंत्री फिर उपस्थित हुए। कृषि मंत्री ने उन्हें भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई पूरे सम्मेलन की संक्षिप्त कार्यवाही की रिपोर्ट की एक प्रति भेंट की। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने काफी देर तक प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि वक्ताओं के विचार सुने। श्री गांधी ने अपने समापन भाषण में कहा कि हम प्रत्येक प्रतिनिधि के विचारों पर, चाहें वे भाषण के जरिये मिले हो अथवा उन्हें दी गई प्रश्नावली के माध्यम से, गहराई से विचार करेंगे। अभी दक्षिण राज्यों का एक सम्मेलन शीघ्र ही कर्नाटक में होगा। पूरे देश के राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही सरकार किसी निर्णय पर पहुंचेगी।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के सफल आयोजन और प्रतिनिधियों के रहने, खाने-पीने के अच्छे प्रबन्ध के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने सम्मेलन में दूर-दूर से आए प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद किया।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ० दासगुप्ता ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय कृषि मंत्री और समापन समारोह में उपस्थित महानुभावों का सम्मेलन में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया।

प्रस्तुति –
शशि बाला
53, नीमड़ी कालोनी,
अशोक विहार, दिल्ली–110052

(पृष्ठ 20 का शेष)

उत्थान के लिये विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थिति थोड़ी सुधरी है। इसके बावजूद गांवों में सामुदायिक जल आपूर्ति जैसी सार्वजनिक सेवा के मामले में जातपांत का भेद अभी कायम है। कर्नाटक राज्य में सर्वेक्षण से पता चला कि 11.1 प्रतिशत अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों ने बताया कि आम क्षेत्रों में स्थित जल संसाधनों का उपयोग उन्हें करने की छूट नहीं है। यही स्थिति कमोबेश अन्य राज्यों में भी होगी। इस समस्या की ओर तुरन्त और गंभीरता से ध्यान देना होगा।

6. जल संसाधनों के मामले में लोगों में यह भावना जगाना आवश्यक है कि ये सार्वजनिक सम्पत्ति है और सार्वजनिक उपयोग व लाभ के लिये हैं। कई उदाहरण ऐसे सामने आये हैं जबकि शरारती लोगों ने इन संसाधनों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया। अन्य स्थानों पर इनके गलत उपयोग अथवा संचालन से या फिर स्वार्थवश, आपसी रंजिश या गुटबंदी के कारण इनका ठीक उपयोग नहीं हो पाया। इस स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक है कि जिम्मेदार स्थानीय लोगों की ऐसी समिति बनायी जाये जो इस स्थिति को रोकने और इस स्थिति से निपटने में प्रभावी ढंग से काम कर सके।

अनुवाद : ओमप्रकाश दत्त

पेयजल आपूर्ति : ग्रामीण विकास की कुंजी

आशा शर्मा

जल जीवन की जीवन शक्ति है, उसका मूल है और प्रेरक तत्व भी। "आब" (जल) के बिना जीवन "बेआब" हो जाता है और मनुष्य तथा उसके सारे कार्य कलाप विनाश के घातक विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं। हाल के सूखे ने यह तथ्य कितनी स्पष्टता से उजागर किया, यह हम सभी जानते हैं। वैसे तो विश्व का तीन-चौथाई भाग जलाप्त है, जिसका 97 प्रतिशत महासागर-सागरों की शक्ल में है। पेयजल केवल 2 प्रतिशत है। इससे ही पेय का महत्व तथा इसकी कमी की आशंका सही रूप में हम समझ सकते हैं। कमी के अन्य कारण भी हैं जैसे वर्षा का अभाव, नगर विकास, जनसंख्या में वृद्धि तथा औद्योगिक प्रसार, सिंचाई व्यवस्थाओं में उत्तरोतर बढ़ोतरी तथा भंडारण जलाशयों की उपयुक्त व्यवस्था का न होना इत्यादि। भारत जैसे जनसंख्या बहुल देश में, जहां विकास एवं प्रगति के लाभ देश के सभी भागों व क्षेत्रों में-भले ही भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों के परिणाम स्वरूप एक समान नहीं बंट सके, पेयजल की समस्या, विशेषकर दूर-दराज गांव देहात में कष्टकर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति आज भी सरकार के सामने एक चुनौती है, क्योंकि मूलतः यह एक उद्देश्य बद्ध कल्याण कार्य है। यद्यपि पिछले चार दशकों में इसकी उपलब्धि में संतोषजनक प्रगति हुई है, तथापि काफी कुछ करना शेष है।

भारत की अर्थव्यवस्था के मानसून वर्षा पर आश्रित होने के कारण देश सूखे व बाढ़ की विडम्बनात्मक मार से आतंकित-आशंकित रहता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रकोप ताण्डव से कम भयावह नहीं होता। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा व तमिलनाडु में कई भाग आज भी ऐसे हैं जहां पेयजल की कीमत नियामत से कम नहीं। यहां की महिलाओं की दिनचर्या का अधिकांश भाग पनघट अथवा अन्य जल स्रोत से पानी ढोने में लगता है। एक अध्ययन के अनुसार इन महिलाओं द्वारा जीवन की कुल तय की गई पैदल यात्रा 90 प्रतिशत घर से कुएं तथा वापस घर तक है। तभी तो यहां के लोकगीतों तक में विवाह योग्य कन्याएं अपने बाप से यह कहती हैं कि हे पिता, दहेज में मुझे जो देना सो देना, परन्तु मुझे ब्याहना उस गांव में जहां पानी ढोकर न लाऊं। विचारणीय है कि पेयजल की कष्टसाध्यता को घटाकर तथा इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की दिनचर्या को अधिक सुखद बनाकर उनकी शक्ति एवं सामर्थ्य को विकास कार्यों की ओर प्रवृत्त-उन्मुख करके ग्रामीण विकास की गति को अधिक त्वरित एवं सशक्त बनाया जा सकता है।

इसी उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए स्वाधीनता प्राप्ति के तुरन्त बाद सरकार का ध्यान इस ओर गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू से लेकर ही पेयजल को सुलभ बनाने पर उत्तरोतर अधिक बल दिया जाता रहा है। यह नीति आज भी जारी है। योजनाधीन कार्यक्रमों के अलावा इसे एम.एन.पी. तथा बीस सूत्री कार्यक्रमों में शामिल किया गया जो कि सरकार द्वारा पेयजल की आपूर्ति को दी जा रही प्राथमिकता का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस समस्या को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए अधुनातन टेक्नोलॉजी तथा संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जिसका प्रमाण है पेयजल आपूर्ति के लिए गठित टेक्नोलॉजी मिशन जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल के मामले में तुरन्त राहत। हर्ष का विषय है कि मिशन के कार्य के सुफल आने शुरू हो गए हैं।

देश की आजादी के समय पेयजल की समस्या वाले गांवों की संख्या पांच लाख से अधिक थी। पंचवर्षीय

योजनाओं तथा विशेष रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में गांवों में पेयजल मुहैया करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप इनकी संख्या में यथेष्ट कमी आई। छठी योजना के आरंभ में ऐसे गांवों की संख्या घटकर 2.31 लाख रह गई थी। इनमें से 1.92 लाख गांवों को छठी योजना की अवधि में पेयजल की सुविधा पहुंचाई गई। शेष 38 हजार गांवों को, बाद में नए जोड़े 1.89 लाख गांवों के साथ सातवीं योजना के दौरान कुल 2.37 लाख गांवों को पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया। इनमें से 45,248 को वर्ष 1985-86 के दौरान तथा 48,350 को 1986-87 में पेयजल की सुविधा मुहैया की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1987-88 में 50,570 गांवों में केन्द्रीय कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के फलस्वरूप लाभान्वित हुए। वर्ष 1989-90 में 17560 और गांवों में पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य है।

पेयजल की आपूर्ति के विभिन्न कार्यक्रमों के महत्व तथा प्राथमिकता इस तथ्य से स्पष्ट होगी कि सातवीं योजना में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 12 अरब रुपये की राशि रखी गई। इसके अतिरिक्त पेयजल के लिए विशेष रूप से गठित टेक्नोलॉजी मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई। राज्य सरकारों के एतद्-संबंधी कार्यक्रमों तथा प्रयासों के लिए आरक्षित 2235.25 करोड़ की राशि इसके अतिरिक्त है।

गत चार वर्षों में ग्रामीण विशेषकर समस्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा पहुंचाने पर विशेष बल दिया जा रहा है जोकि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की इस विषय में दिलचस्पी तथा निर्देशों का परिचायक है। इसका जीवन्त प्रमाण है पेयजल आपूर्ति के लिए विशेषतः टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना जिसका उद्देश्य है वर्ष 1990 तक पेयजल की समस्या वाले सभी गांवों को पानी पहुंचाना।

1986 में गठित टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक तरीकों से जल-साधनों का पता लगाना और जल की किस्म को सुधारने के उपाय करना है। यह कार्य पानी के कीड़े मारना तथा इसे संक्रमण से मुक्त रखने, पानी को अतिरिक्त फ्लोराइड, लोह तथा लवण से मुक्त करने आदि के लिए अलग-अलग सुनिश्चित पांच उप-मिशनों की स्थापना करके किया जा रहा है। पानी की समस्या वाले गांवों में जल-साधनों व स्रोतों का पता लगाने में उपग्रह से तस्वीरों (रिमोट सेंसिंग) तथा भूभौतिकीय अध्ययनों की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर की सहायता से प्रबंध सूचना-प्रणाली के विकास का कार्य भी आरंभ किया गया है तथा नियमित मानीटरिंग (अनुश्रवण) से कार्यक्रमों की प्रगति का उनके उचित, परिवर्तन-परिवर्द्धन से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत कामकाज सभी 55 मिनी-मिशनों द्वारा जोर-शोर से किया गया तथा उपमिशनों पर भी अधिक ध्यान दिया गया। इनके लिए निर्धारित स्वीकृत विशेष कार्यवाही कार्यक्रम में कीड़े वाले पानी वाले गांवों को इस खतरे से सुरक्षित बनाने, स्टैपवैलों को निपटरी वैलों में बदलने, फ्लोराइड तथा लवण दूर करने के संयंत्र लगाने तथा परंपरागत ऊर्जा तथा अनिश्चित बिजली-सप्लाई वाले गांवों में पानी खींचने के लिए पंपिंग सेट लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मिशन के अंतर्गत जल उपयोग की परिष्कृत तकनीकों का भी पता लगाया जा रहा है ताकि परंपरागत तकनीकी सुधार लाकर निरंतर जल आपूर्ति के लिए किफायती उपाय किए जा सकें। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जल-उपयोग संरचनाओं, भंडारण व्यवस्थाओं तथा शोधक-प्रणालियों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक संहिता तैयार करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय तकनीकी विशेष समिति गठित की गई जिससे पेयजल की उपलब्धि-स्थिति के और अधिक सुखद होने की पूरी आशा है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई के लिए 1988-89 के दौरान प्रावधान को 373.19 रुपये से बढ़ाकर 389.42 करोड़ कर दिया गया जबकि 1989-90 में इसके लिए यह राशि 410 करोड़ रुपये है। यह सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को दिए जा रहे महत्व द्योतक है।

अतः तय है कि पेयजल की समस्या अब स्पष्ट वैज्ञानिक आधार व कार्य शैली द्वारा निपटी जा रही है। कार्यक्रमों की प्रगति का लेखा जोखा रखने के लिए प्रबन्ध-सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है। केन्द्र के अलावा राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में से अनुसरण तथा जांच क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुश्रवण व निरीक्षण इकाइयों के लिए केन्द्रीय अनुदान की अधिकतम सीमा राज्यों के लिए 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए 2 से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई। इन इकाइयों में कंप्यूटरीकृत अनुश्रवण प्रणाली होगी और इनके पास

व्यवस्थिति संसाधन जांच कार्य के लिए एक विशिष्ट विज्ञानी दल भी उपलब्ध होगा। अनुश्रवण के अपरिहार्य महत्व को ध्यान रखते हुए अनुश्रवण व जांच प्रणाली का पुर्गठित किया जा रहा है और जलापूर्ति कार्यक्रम को भी जिलास्तर कंप्यूटरीकृत अनुश्रवण प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मजबूती आए और समय तथा साधनों का अपव्यय न हो। कार्यक्रम के सभी पक्ष अनुश्रवण एवं सूचना प्रणाली के तहत लाए गए हैं।

सरकार द्वारा प्रयत्नों का दूरगामी तथा स्थायी प्रभाव तभी हो सकता है जबकि जनसाधारण तथा ग्रामीण जन समुदाय भी इनमें पूर्ण एवं ठोस सहयोग दे। इसी आशय से तथा ग्रामांचल में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम-समितियां तथा स्वैच्छिक संगठन पेयजल से सही उपयोग तथा स्वच्छता के महत्व तथा जल संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार द्वारा कार्यक्रम के लाभों को द्विगुणित कर सकते हैं। ऐसा शिविरों, विचार गोष्ठियों, पंचायत मेलों आदि के माध्यम से बखूबी किया जा सकता है। सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल गांवों व क्षेत्रों को प्राथमिकता देना स्तुत्य है क्योंकि इससे उनके जीवन स्तर सुधारने तथा उन्हें राष्ट्रीय प्रगति के लाभों से मंडित करने का पथ प्रशस्त होगा।

अतः राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम केवल मानवीय मूल आवश्यकता को उपलब्ध कराने की योजना नहीं। इसे समग्र विकास के प्रेरक–कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि देश के गांव समृद्ध हों और देश के विकास में बराबर का हाथ बटाएं। पेयजल समस्या के समाधान का जो सर्वाधिक सुखद परिणाम यह होगा कि इससे ग्रामीण महिलाओं की दिनचर्या सुखद होगी, उन्हें शासित कष्टसाधन तथा समय लेवा काम से मुक्ति मिलेगी। शुद्ध पानी परिवारिक स्वास्थ्य में सुधार से न केवल वे स्वयं के तथा समग्र ग्रामीण, कार्यों की ओर उन्मुख होंगी और जैसा कि हाल में घोषित महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रीय नीति में कहा गया वे देश अन्य वर्गों के साथ मिलकर प्रगति की रफ्तार को गति देंगी जिससे जागरूकता भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी। अतः पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम केवल पानी की व्यवस्था का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के एक बड़े अंग-ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण तथा प्रभावी कुंजी है।

37 सी, पाकेट बी, गंगोत्री एन्कलेव,
नई दिल्ली–110019

जीवन-फूल

हेमन्त चोरडिया

"मैं ने कहा सुनते हो ! जल्दी उठो। पार्वती ने माधव बाबू को झिंझोड़कर जगाते हुए कहा।

"क्या है ?" माधव बाबू खीझभरे स्वर में उठते हुए बोले "इतनी सुबह-सुबह कौन-सा आसमान टूट पड़ा है ?"

"नरेश के बाबूजी चल बसे।"

"क्या ?" माधव बाबू को जैसे करंट लगा। सिर से पैर तक कांप गये। नरेश के बाबूजी यानि रामनाथ। उनके ज़िगरी दोस्त। सुनकर स्तब्ध रह गये। "कब ? कैसे ?" इतना ही पूछ पाये, किसी तरह।

"रात को करीब तीन-साढ़े तीन बजे। अभी जब कुएं पर पानी भरने गई तो टिम्मो की मां ने बताया।"

"कल शाम को तो वह रामनाथ से मिलकर लौटे थे। तब तक तो वह बिल्कुल ठीक थे। फिर इतनी जल्दी यह सब कैसे हो गया ?" वह समझ न सके। अपने ही ख्यालों में खोये-खोये जाने कैसे उन्होंने प्रात:कालीन कार्यों को निबटाया, इसका उन्हें होश ही न था। मन अजीब-सी उदासी से भर गया था। वह धीरे-धीरे बाहर निकल आये।

रामनाथ के घर के सामने खड़े हुए आदमियों पर माधव बाबू की नजर पड़ी। मन में अजीब-सी हूक उठने लगी थी। पैर आगे के बजाय पीछे पड़ने लगे। दरवाजे पर पहुँचते ही उनकी नजर नरेश पर पड़ी। उसका मामा उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था पर वह था कि हिचकियां लेकर रोये ही जा रहा था।

आगे बढ़कर उन्होंने नरेश को पुकारा तो उनकी आवाज रुंध गई। आवाज सुनकर नरेश ने मुँह ऊपर उठाया और 'ताऊजी' कहकर उनके पैरों से लिपट गया।

उन्होंने उसे समझाना चाहा, लेकिन उनका अपना मन ही पागल-सा हो रहा था।

श्मशान में पेड़ के नीचे खड़े-खड़े वह सूनी आंखों से रामनाथ की जलती चिता को देखते रहे। उसके साथ बिताये गये दिन एक-एक करके आंखों के सामने घूमने लगे। उन्हें लगा कि रामनाथ के साथ उनका मन भी समाप्त हो गया है।

अचानक नरेश के रोने से उनका ध्यान टूटा। वह पिता की चिता के पास लोटा-लोटा हो रहा था और तीन-चार आदमी मिलकर उसे पकड़ रहे थे। वह आगे बढ़े और उन्होंने उसे सख्ती से थाम लिया। उसे समझाना चाहा, लेकिन समझाते-समझाते वह भी उसके साथ बच्चों की तरह रो पड़े।

शाम तक वह नरेश के पास बैठे रहे। संध्या होने पर वह भी भारी कदमों से घर की ओर लौट पड़े। नहा-धोकर चुपचाप आकर खाट पर लेट गये। रामनाथ की याद बार बार उनका मन व्याकुल किये जा रही थी। यही लग रहा था कि इस दुनिया में क्या रखा है ? कौन-किसका है ? ये रिश्ते नाते मृत्यु के बाद कितने व्यर्थ हो जाते हैं ! कौन किसके साथ जाता है ? लेकिन यह अज्ञानी मनुष्य जीवन भर उन रिश्तों से टूटना नहीं चाहता। सब माटी के पुतले हैं। किसी दिन भी माटी में मिल जायेंगे। फिर यह व्यर्थ की दौड़-धूप क्यों ?

"खाना ले आऊं ?" पार्वती के स्वर ने उन्हें चौंका दिया।

"नहीं। भूख नहीं है।" माधव बाबू अनमने से बोले।

"लेकिन सुबह से भूखे हैं। कुछ तो खा लीजिये। भूखे पेट सोना ठीक नहीं।" पार्वती जरा खाट के निकट आ गई।

"मैंने कहा न, मुझे भूख नहीं है। ज्यादा तंग मत करो।" माधव बाबू तनिक कठोर स्वर में बोले।

पार्वती चुपचाप चली गई।

मन की सब इच्छाएं मर गई थीं। मन में उलटे-सीधे विचार आ-जा रहे थे। लग रहा था, सारा जीवन-दर्शन उनके सामने स्पष्ट हो उठा हो। मन के विचार इधर-से उधर दौड़ते रहे। न जाने कब उनकी आंख लग गई।

सवेरे सात बजे पूर्णिमा ने उन्हें जगाया। माधव बाबू अंचकचाकर उठ बैठे। कमरे में सब तरफ धूप फैल गई थी। वे मन ही मन लज्जित हो उठे। न जाने आज इतनी देर तक कैसे सोये रहे। आंखों में अब भी जलन हो रही थी।

बाहर आये तो देखा, रंगनाथ उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही बोला -"मैं याद दिलाने आया था कि परसों हुकुमसिंह वाले मुकदमें की पेशी है, तारीख है। सब गवाह तैयार हैं। आपको भी चलना है ...."

बीच में ही बात काटकर माधव बाबू बोले-"आप चले जाइएगा। मैं क्या करुंगा वहां जाकर ?"

रंगनाथ आश्चर्य से मुंह फाड़े उनकी ओर देखता ही रह गया। उसकी समझ में न आया कि माधव बाबू क्या कह रहे हैं। पूछा-"क्या कुछ तबीयत खराब है ?"

माधवबाबू कुछ जवाब दिये बगैर पास पड़े मोढ़े पर बैठ गये। पार्वती ने इशारे से रंगनाथ को रसोई में बुलाया। माधव बाबू को ताकते हुए वह पार्वती के पास पहुंचा।

"क्या बात है भाभी ? भैया आज इतने उदास क्यों है ?"

"क्या बताऊँ भैया। जब से लालाजी गुजरे हैं, तब से ही यह ऐसे हो गये है। न बोलते हैं, न खाते हैं। कुछ जोर करो तो कड़वा बोल जाते हैं।" पार्वती का स्वर भारी हो गया।

"लेकिन ऐसे कैसे चलेगा भाभी ?" रंगनाथ बोला, "आप तो जानती ही हैं। परसों हुकुमसिंह वाले मुकदमे की तारीख है। उसने बड़नियां पार वाला दो सौ एकड़ का चक गड़बड़ी कराकर अपने नाम करा लिया था। मिलना तो हमें चाहिए था, मगर वह आदमी जरा चालाक निकला। अगर समय रहते हाथ-पैर न मारे गये तो वह दो सौ एकड़ का चक पूरा का पूरा हुकुमसिंह के पेट में चला जायेगा। वैसे मुकदमें में हमारी पूरी-पूरी उम्मीद है। गवाह भी सब तैयार हैं। वकील साहब ने कहा है कि बस भैया को जरा मजबूत रहना होगा। वह उनसे कल मिलना चाहते हैं ताकि पूरे मुकदमे की जानकारी दे दें। इसलिए मैं यह कहने आया था कि भैया कल वकील साहब से मिल लें पर यहां तो ..." रंगनाथ ने गहरी सांस छोड़ी।

"तुम फिकर मत करो। जैसे ही यह ठीक होंगे। मैं इन्हें समझा दूंगी।" पार्वती ने दिलासा दिया -"चाय पियोगे भैया ?"

"पिलाओ, भाभी। पर भैया को जरा अच्छा समझाना अगर भैया खड़े न हुए तो समझो सारी मेहनत पर पानी फिर गया" रंगनाथ ने कहा – "और सुनो, नोहड़ा के मनोहर के बेटे का रिश्ता ठीक है न। मैंने पूर्णिमा के लिए चलाया है। घर वर सब अच्छा है। लड़का लाखों में एक है। बस, भैया बातचीत कुछ आगे बढ़ा दें।"

बाहर माधव बाबू निर्विकार भाव से बैठे हुए थे। सारी बातें उन्हें सुनाई पड़ रही थीं। वह मन ही मन उन लोगों की अबोधता पर हंसे।

रंगनाथ के जाने के बाद पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा -"आप नहीं जायेंगे तो मुकदमें में लगा सारा पैसा तो जायेगा ही, वह दो सौ एकड़ का चक भी चला जायेगा। बगैर रोजी-रोटी का सहारा लिये भला पूर्णिमा के लिए कहां रिश्ता चलायेंगे ? आखिर इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। जमीन जायेगी तो इज्जत भी चली जायेगी।"

"तुम पागल हो गई हो क्या ?" माधवबाबू कठोर स्वर से बोले -"जमीन जाने का तुम्हे इतना दुख है और जब मैं चला जाऊँगा तब।"

पार्वती आहत हो गई। पागलों की तरह उन्हें देखती रह गयी। वह उठकर कमरे में आकर लेट गये और निर्निमेष दृष्टि से छत की ओर ताकते रहे।

तभी मंगलू ने कमरे में प्रवेश कर कहा -"आपको बैजनाथ बाबू ने बुलवाया है।"

उनका मन हुआ कि मना कर दें पर न जाने क्या सोच कर रुक गये। चप्पल पहनकर वह घर से बाहर निकले।

बैजनाथ बाबू दो महीने से बीमार हैं। पैंसठ से ऊपर के हैं। जब ठीक होते हैं, मिलने चले आते हैं पर पिछले महीने से

बीमारी से लाचार हो गये हैं। न मालूम क्यों बुलवाया है? यही सोचकर माधव बाबू चले जा रहे थे।

वहां जाते ही बैजनाथ के कमरे की ओर गये पर अन्दर घुसते-घुसते ठहर गये। अन्दर से आती तीव्र दुर्गन्ध ने उन्हें वहीं रुकने पर विवश कर दिया। उन्होंने आवाज लगाई – "बैजनाथ! बैजनाथ!!"

"कौन माधव बाबू? आओ भई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था" अन्दर से बैजनाथ बाबू बोले।

वह उनके पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गये – "खिड़कियां बन्द करके क्यों बैठे हो?"

"अरे भई, मैं क्या करूं। रात को बन्द कराई थीं। अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।" और हांफ जाने पर थोड़ी देर चुप हो गये – "तुम तो जानते हो। मुझे मेरे बेटे पानी तक नहीं पूछते। जबसे बीमार हुआ हूं, फालतू समझ कर एक कोने में डाल दिया है। डाक्टर तक को नहीं बुलवाया। खुद ही घिसटता-घिसटता डाक्टर तक गया"। फिर जेब से पर्चा निकालकर माधव बाबू के हाथ में दिया "डाक्टर ने ये दवाइयां लिख दी हैं। बेटे तो लाने से रहे। तुम्हीं मंगा दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।"

"अरे, अरे! इसमें एहसान की क्या बात है?" माधव बाबू बोल उठे। सोचने लगे, न जाने कौन सा मोह इनके जीवन को खींच रहा है। चलने फिरने से लाचार हैं, कोई बात नहीं। लड़के अनादर करते हैं, फिर भी। उन्होंने मजाक किया – "बैजनाथ, अब बुढ्ढे तो हो चुके हो, फिर जिंदगी से इतना लगाव क्यों रखते हो?" अपने मजाक पर उन्हें खुद आश्चर्य हुआ।

बैजनाथ बाबू रो में बह गये – "मेरा क्या है। आज हूं, कल नहीं। पर अपनी बेटी यशोदा की वजह से बड़ी चिंता में हूं। सामने आ खड़ी होती है, जैसे कर्जदार हो। उसके हाथ पीले हो जायें तो सुख-चैन से मर सकूं। जब तक जिंदगी है, रिश्तों से मुंह मोड़ना कायरता है और मैं कायरता की मौत नहीं चाहता।"

माधव बाबू के मन में जैसे भयंकर द्वन्द्व छिड़ गया। लग रहा था, जैसे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बार-बार बैजनाथ की बातें मन को मथे जा रही थीं। कल रामनाथ ने जिंदगी का संत्रास उनके सामने रखा था और आज बैजनाथ जिंदगी को कीमती बता रहा था। वह विदा लेकर घर लौट पड़े।

रास्ते में बेनीप्रसाद माली के बगीचे पर उनकी नजर पड़ी। बेनी अपनी क्यारियों में नये पौधे लगा रहा था और पुराने पौधे सूखे फूलों सहित एक तरफ जमा थे। तभी एक विचार ने माधव बाबू के मन को झकझोर दिया – "क्या यह संसार भी एक बगीचा नहीं है, जिसमें नाना भांति के मनुष्य के जीवन रूपी फूल खिलते हैं। हर फूल अपने समय तक बाग की शोभा बढ़ाये रहता है, लेकिन उसे भी एक दिन सूखकर, टूट कर नष्ट हो जाना पड़ता है। अगर सभी फूल नष्ट होने के डर से खिलना बन्द कर दें तो बाग की शोभा कहां रह जायेगी? बाग में अजीब-सी मनहूसियत छा जायेगी। जीवन तो एक ऐसा फूल है, जो अपने कर्मों की सुगंध से जिंदगी के बाद भी जीवित रहता है।"

उनकी नजर सामने खेतों पर चली गई। हरियाली की एक रेखा चारों ओर खींची हुई थी और उनके बीच में कार्यरत लोग। उन्हें एक सुखद अनुभव हुआ। लगा जीवन इसी का नाम है। कर्म की हरियाली के बीच आदमी की मेहनत के फूल खिले हैं। मौत की अपेक्षा यही जीवन अधिक सत्य है, हालांकि मौत भी एक ध्रुव है, लेकिन उसे चुनौती देने वाली जिंदगी एक अलग चीज है।

घर पहुंचकर उन्होंने देखा, रंगनाथ का बेटा बैठा हुआ है। माधव बाबू को देखते ही उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की। मुस्कराकर माधव बाबू ने नमस्ते का जवाब दिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले – "बापू को बोलना कि वह पूर्णिमा के रिश्ते की बाबत मुझसे आकर बात करें। हम दोनों ही लड़का देखने चलेंगे।"

उन्होंने सिर घुमाकर पार्वती की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी।

एन.एच. नं. 8,
भुवाणा,
उदयपुर-313001

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 23 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित

दिसम्बर, 1988 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के तहत 31 लाख 94 हजार परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 23 लाख 62 हजार परिवारों को सहायता दी गई। अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय और नगालैंड को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने दिसम्बर, 1988 तक के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। यह जानकारी संसद में पेश की गई ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (1988-89) में दी गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर दिसम्बर, 1988 तक सहायता पाने वाले कुल परिवारों में लगभग 45.4 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे। 1988 के दौरान लाभान्वितों में 22.47 प्रतिशत महिलायें थीं। नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया। गरीबी निवारण कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां उत्साहवर्धक हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों से अधिक काम किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में आई.आर.डी.पी. के तहत 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को सहायता दी गई और लगभग 180 करोड़ जन दिवसों के बराबर रोजगार पैदा किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष लगभग 40 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रीय स्तर पर पहले से लाभ प्राप्त कर रहे लोगों में से 60 प्रतिशत लोग 3500 रुपये गरीबी की रेखा से और 13 प्रतिशत लोग 6400 रुपये की संशोधित रेखा से ऊपर आ गये।

सरकारी रिकार्ड में दिये गये वार्षिक आय के आंकड़ों के अनुसार सहायता पाने वाले परिवारों में से लगभग 47 प्रतिशत निराश्रित समूह (1-2265 रुपये) और 50 प्रतिशत अति निर्धन समूह (2266-3500 रुपये) में आते थे। कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से अनेक संगठन इसका मूल्यांकन करते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वित्तीय प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, और योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस कार्यक्रम के बारे में प्रमुख अध्ययन किये। किसी भी अध्ययन में कार्यक्रम की उपयोगिता या इसके कार्यान्वयन की नीति में त्रुटि नहीं पाई गई है। इस कार्यक्रम का लाभान्वित व्यक्तियों की आय पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक की अवधि के लिए आई.आर.डी.पी. के समवर्ती मूल्यांकन से पता चलता है कि 81 प्रतिशत लाभान्वितों ने पाया कि सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में दी गई सहायता परिसम्पत्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। बकाया देय राशि के बारे में अध्ययन में यह बताया गया है कि लगभग 42 प्रतिशत परिवारों पर कोई बकाया राशि नहीं थी और 31 प्रतिशत परिवारों पर 1000 रुपये से कम का बकाया था।

आई.आर.डी.पी. के लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान अनेक उपाय किये गये। भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायता से एक सामूहिक जीवन बीमा योजना शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत पहली अप्रैल, 1988 से जिन परिवारों की सहायता की गई है, वे इस बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। इस योजना में प्रत्येक लाभान्वित का तीन वर्ष के लिए 3000 रुपये का बीमा किया जाता है और दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में दुगुना बीमा लाभ दिया जाता है।

आई.आर.डी.पी. के तहत गतिविधियों में विविधता लाने के लिए भी कई उपाय शुरू किये गये हैं। इनमें फल और खाद्य पदार्थ संसाधन इकाइयां लगाने, मछली पालन जैसे नये कार्यक्रमों को शामिल करना; सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और रक्षा सेवाओं की जरूरत की वस्तुओं (वर्दी आदि) और आपरेशन ब्लैक बोर्ड और समेकित बाल सेवा विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ावा देना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए पशुपालन और मत्स्य, बागवानी, संसाधित खाद्य पदार्थ और ग्रामीण औद्योगिकरण पर तीन

(शेष पृष्ठ 34 पर)

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विविधता लाई जाएगी

स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के वर्तमान प्रमुख कार्यक्रमों के जरिये ग्रामीण गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार की वर्तमान नीति को जारी रखा जाएगा और उसमें विविधता लाई जाएगी।

संसद में पेश की गई ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (1988-89) के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधिक विविधीकरण के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण मुख्य कुंजी होगी। द्वितीय क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देते हुए कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य बल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने पर देना होगा। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विपणन के लिए ढांचों की समीक्षा करें और उसे मजबूत बनाएं। कापार्ट में एक विपणन प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है जो न केवल स्वयंसेवी संगठनों को बल्कि अन्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समूहों को भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की मार्फत सलाह और परामर्श सेवाएं सुलभ कराएगा। पंचायत राज संस्थानों को मजबूत करने के प्रश्न पर एक राष्ट्रीय बहस शुरू की गई है ताकि गांवों में स्थानीय स्वशासन और प्रजातंत्र प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इस सिलसिले में आवश्यक विधायी उपाय विचाराधीन हैं।

एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. का एकल कार्यक्रम में विलय किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन को संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर विकेन्द्रीकृत किया जाएगा। भारत सरकार योजना के लिए लागत का 75 प्रतिशत धन देगी तथा 25 प्रतिशत धन राज्यों को अपने संसाधनों से जुटाना होगा।

पहली बार एक नई रोजगार योजना 'जवाहर रोजगार योजना' देश के 120 पिछड़े जिलों में शुरू की जाएगी। जिलों के चयन के लिए मार्ग दर्शिकाएं तैयार की जा चुकी हैं। इन योजना के अंतर्गत इन जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को पूर्ण रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

इस वर्ष के बजट में वर्तमान रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटन के अतिरिक्त इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है।

पेयजल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन को आशा है कि वह अपने काम को मार्च 1990 तक पूरा कर लेगा। ऐसी संभावना है कि उस समय तक मिशन के प्रमुख लक्ष्यों को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया जाएगा।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की व्यवसायी सक्षमता को मजबूत करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। क्षेत्र का संसाधन सर्वेक्षण तैयार करने और तत्काल शुरू की जा सकने वाली परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रायोगिक आधार पर चुनी गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थाओं के युवा व्यावसायिकों को भेजा जा रहा है।

राज्य स्तर पर आयोजना प्रकोष्ठों को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ विभिन्न विभागों की गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से समेकित किया जा सके। प्रायोगिक आधार पर रेशम कीट पालन, मछली पालन का विकास, फल और सब्जियों का उत्पादन, बिजली और इलैक्ट्रानिक सामान के पुर्जे जोड़ने आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण आसूचना प्रणाली कार्यक्रम जो इसी वर्ष शुरू किया गया है को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक तकनीकी सहायता संगठन विकसित करने का प्रस्ताव है। इस समर्थन प्रणाली के मुख्य कार्य सॉफ्टवेयर वृद्धि की चल रही प्रक्रिया को अपनाना, स्टाफ को प्रशिक्षण देना और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सामान्य तकनीकी

सहायता देना होगा। राज्यों को एक राज्य स्तर का इलैक्ट्रानिक निगम अथवा एक कम्प्यूटर निदेशालय बनाने की सलाह दी गई है जो इस कार्य के लिए नॉडल एजेंसी का काम कर सके।

भूमि सुधार के क्षेत्र में, आने वाले वर्षों में एक प्रमुख काम होगा विशेष अदालतों की स्थापना करके अधिकतम सीमा के फालतू भूमि संबंधी लम्बित मुकदमों का तेजी से निपटान करना और उपलब्ध सारी फालतू भूमि का भूमिहीन निर्धनों में वितरण करना। कार्य की अन्य मदें हैं-फालतू भूमि के आबंटियों को भूमि का कब्जा सुनिश्चित कराना, हस्तांतरित की गई आदिवासी भूमि को आदिवासियों के सुपुर्द कराना और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान 21.94 लाख परिवारों की सहायता देने के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1988 तक 23.62 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी। 'ट्राइसेम' के तहत 1.34 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 39.6 करोड़ मानव (श्रम दिवस) श्रमदिन से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया। लगभग 25970 हैक्टेयर भूमि को भूमिहीनों में बांटा गया। 26742 समस्याग्रस्त गांवों में पीने का पानी मुहैया कराया गया। 40800 से अधिक स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया।□

(पृष्ठ 32 का शेष)

कार्य दल गठित किए गए। यह कार्य दल अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान कार्यक्रमों, पता लगाए क्षेत्रों में परियोजना संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे तथा संबंधित क्षेत्रों में अन्य संगठनों तथा केन्द्र और राज्य कार्यक्रमों के साथ उनके संबंधों के बारे में जांच करेंगे।

परिसम्पत्तियों की वास्तविक जांच के माध्यम से आई.आर.डी.पी. की गुणात्मक निगरानी तथा जिला/राज्य स्तर पर जांच करने की प्रणाली शुरू की गई। डी.आर.डी.ए. जिला अधिकारियों को नियमित जांच दौरे आयोजित करने की सलाह दी गई।

लघु उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परिवारों को गांवों में छोटे उद्योग लगाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक वस्तुओं के उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है। ये हैं-संसाधित खाद्य पदार्थ, 75 रुपये से कम मूल्य के जूते, टेलीविजन, रेडियो, कैसेट प्लेयर, रिकार्डर, वोल्टेज स्टेबलाईजर, केलकुलेटर, इलैक्ट्रानिक घड़ियां, मेज घड़ियां, इलैक्ट्रानिक दीवार घडियां, आडियो कैसेट और खिलौने। इन वस्तुओं का निर्माण पंजीकृत सहकारी समितियों, जिनमें महिला समितियां भी शामिल हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास एजेंसियों, द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा किया जाना चाहिए।□

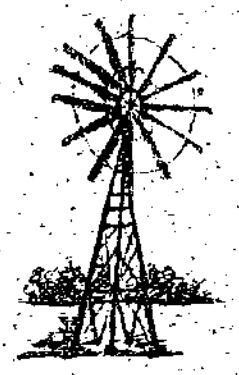

कीटनाशक दवाइयां और पर्यावरण : एक अवलोकन

प्रो. यू.एस. मिश्र

कृषि के आधुनिक युग में कीटनाशक दवाइयों का विशेष महत्व है। अनुमान है कि सन् 2000 तक हमारी खाद्यान्न आवश्यकता लगभग 23 करोड़ टन पहुंच जाएगी। इसे पूरा करने के लिए हमें अपनी फसल का उत्पादन कई गुणा बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें ऐसी फसलें उगानी होंगी जो कम समय में तैयार हो जाएं तथा जिनसे अधिक से अधिक पैदावार मिले। ऐसी फसलों के लिए हमें सिंचाई के और अधिक साधनों की आवश्यकता होगी। परन्तु इससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के लिए और अनुकूल वातावरण पैदा होगा और कीड़ों से होने वाले रोगों की महामारी फैलेगी। इस प्रकार एक नई समस्या खड़ी होगी।

इस स्थिति से तभी निपटा जा सकता है जब फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। जबसे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रान्ति शुरू की गई तब से कीटनाशकों का प्रयोग काफी बढ़ गया है। हालांकि ठंडी जलवायु वाले विकसित देशों की तुलना में भारत में कीटनाशकों की खपत काफ़ी कम है, जबकि भारत में उन देशों की अपेक्षा कहीं अधिक समस्याएं हैं।

भारत में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल 1954-55 में 3.2 ग्राम प्रति हैक्टेयर था जो 1975-76 में बढ़कर 435 ग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया। जबकि जापान में यह 10,790 ग्राम प्रति हैक्टेयर, अमेरिका में 1470 ग्राम और यूरोप में 1870 ग्राम था।

भारत में कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन 1974-75 में 45,930 टन था जो 1983-84 में बढ़कर 94,500 टन तक पहुंच गया। इसी तरह कृषि उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई तथा यह 34,203 टन से बढ़कर 72,000 टन तक पहुंच गया। इस प्रकार कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल और उत्पादन में क्रमशः 8.4 और 8.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। अगले दस वर्षों में इन कीटनाशक दवाइयों की मांग 10 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है।

समस्याएं

जब से खेतीबाड़ी में कीटनाशकों का प्रचलन आम हो गया है, हमारे नीति निर्धारक और भी ज्यादा सावधान हो गए हैं हालांकि प्लास्टिक और अन्य रासायनिक उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन कीटनाशक दवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों से कहीं अधिक घातक हैं।

कृषि से जुड़े पर्यावरण पर तो इन कीटनाशक दवाइयों का हानिकारक प्रभाव पड़ता ही है, उन क्षेत्रों में भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है जहाँ इनका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हवा के जरिये ये उन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। वर्षा के पानी के द्वारा भी ये कीटनाशक बह कर नदियों, झीलों, जलाशयों व तालाबों को दूषित करते हैं। इस प्रकार से लोग दूषित पानी पीते हैं, उसी को नहाने व कपड़े धोने आदि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्रयोग करते हैं।

आरगैनोक्लोरीन नामक कीटनाशक के तत्व धीरे-धीरे पानी में रहने वाले जीव जन्तुओं के अंदर जमा होते रहते हैं और लोग इन्हीं जीव जन्तुओं को खाते हैं। मिट्टी में मिला हुआ कीटनाशकों का कचरा, हमारी फसलों के पौधों में भी पहुंचता है और मनुष्य तथा अन्य प्राणी इन्हीं पौधों को अपने खाने के

लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार कीटनाशकों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है तथा इससे न केवल इस्तेमाल करने वाले प्रभावित हैं बल्कि वे जानवर भी प्रभावित हैं जो इन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं तथा पूरा पर्यावरण इनसे दूषित हो रहा है।

समस्या को कम करना

अब यह सर्वविदित है कि ऊपर जिन समस्याओं का उल्लेख हमने किया है उनका कारण कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग और दुरूपयोग है तथा अब समय आ गया है कि इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए।

उपयोग के दौरान अथवा दुर्घटनावश जहर फैलना

कीटनाशकों का खेतों में छिड़काव करते समय यदि निर्धारित सुरक्षा का उपाय न किया जाए तो जहर फैल सकता है। इससे बचने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए और अत्यन्त विषैले किस्म के कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अत्यंत हानिकारक कीटनाशकों के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाने के लिए विशेष संस्थान गठित किया जाना चाहिए।

कृषि जन्य पर्यावरण को भंग करना

ऐसा अधिकतर कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग अथवा दुरूपयोग के कारण होता है। इनसे कीटहारी कीट नष्ट हो जाते हैं जबकि यह कीट कृषि में लाभदायक होते हैं और फिर जो रोगवाहक कीट हैं उनकी संख्या में अस्थाई तौर पर तो कमी आ जाती है लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी संख्या फिर बढ़ जाती है। इस तरह रोगवाहक कीटों को खत्म करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का बार-बार इस्तेमाल करना पड़ता है जो काफी खर्चीला साबित होता है।

धान के खेतों में नीलापावता ल्यूकन्स नामक टिड्डी का प्रकोप कीटनाशक दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कारण हुआ है। सन् 1985 में मालवा के मैदानी इलाकों में बाल वर्म नामक कीड़े का नाश करने के लिए पाइरेथ्रोइड्स नामक दवाई का छिड़काव जरूरत से ज्यादा किया गया गया जिसके कारण वहां "बेमिसिया तबासी" नामक सफेद मक्खी ने तबाही मचा दी। इस समय रोगवाहक कीटों की लगभग 400 जातियां ऐसी हैं जिनमें कुछ कीटनाशक दवाइयों के प्रतिरोधक क्षमता आ गई है और ये दवाइयां उन पर कोई असर नहीं करतीं।

फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि फसलों के ऊपर इन दवाइयों का असर लम्बे समय तक न रहे। एक बात यह भी ध्यान में रखनी होगी कि एक ही दवाई साल-दर-साल इस्तेमाल न की जाए और इनके इस्तेमाल करने की विधि भी ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। उदाहरणतया यदि 'कार्बोफ्यूरोन' नामक कीटनाशक का धान की फसल की जड़ों में इस्तेमाल किया जाता है तो यह धान के उन प्राकृतिक शत्रुओं को मारने में सफल नहीं होता, जो धान के पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और यदि कीटनाशकों का छिड़काव एक-एक लाइन के अंतर से किया जाए तो इससे उन मकड़ियों की सुरक्षा की जा सकती है जो दूसरे कीड़ों का शिकार करती हैं।

एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें खेतों में इस्तेमाल किए जा रहे कीटनाशकों के प्रभाव का निरीक्षण करते रहना चाहिए और जैसे ही किसी कीटनाशक का असर कम होता हुआ लगे उसकी जगह किसी दूसरे कीटनाशक का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह विभिन्न कीटनाशकों का रोगवाहक कीड़ों और अन्य प्राकृतिक शत्रुओं पर क्या असर होता है इसका अध्ययन खेतों और प्रयोगशालाओं दोनों जगह कर लेना चाहिए ताकि सही जगह पर सही कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल किया जा सके।

पर्यावरण प्रदूषण

आरगेनोक्लोरीन नामक कीटनाशक दवाइयां विरोधात्मक गुण के कारण मधुमक्खियों, पक्षियों, मछलियों और पशुओं पर बुरा असर डालती हैं। इसके अलावा आहार की श्रृंखला के जरिये कीटनाशक दवाइयों का बचा खुचा भाग कई गुना बढ़ जाता है और इस आहार श्रृंखला की अंतिम कड़ी मनुष्य है। इस प्रकार मनुष्य के हिस्से में इन दवाइयों का सबसे अधिक भाग आता है।

लेकिन जलवायु में विविधता के कारण अधिक ठण्ड वाले प्रदेशों की अपेक्षा गर्म प्रदेशों में इन कीटनाशकों का स्थायित्व काफी कम है। इसके अतिरिक्त इन कीटनाशक दवाइयों के अवशेषों का असर शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारी लोगों पर अधिक होता है और फिर भारत की अधिकतर जनसंख्या शाकाहारी ही है।

आशंका है कि कीटनाशक दवाइयां मनुष्य पर टेराटोजैनिक, म्यूटेजैनिक और कार्सिनोजेनिक प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन दवाइयों के मूल्यांकन के लिए उपलब्ध प्रणाली विज्ञान के बारे में ज्यादातर लोग असहमत हैं और

जानवरों से सम्बंधित आंकड़ों का मनुष्यों के ऊपर बहिर्वेशन करना अत्यधिक जटिल और अस्पष्ट है। इसलिए इस प्रकार की रिपोर्टों को स्वीकार करने और उन पर अमल करने से पहले अपने देश की परिस्थिति के अनुसार उनकी जांच कर लेनी आवश्यक है।

यदि सुरक्षा अवधि, अवशेषों की स्वीकृत मात्रा आदि के बारे में वर्तमान कीटनाशक कानून 1964 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों को कड़ाई से लागू किया जाए तो भोजन में हम कीटनाशक दवाइयों के अवशेषों की मात्रा काफी हद तक कम कर सकते हैं।

भावी अनुसंधान

ऐसे कीटनाशकों की खोज करना अनिवार्य है जिनके फसल-सुरक्षा प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी जहरीले तत्व कचरे के रूप में न बचें। एंटीहारमोन और चिटिन निरोधक जैसे नए अनुसंधान देखने में आकर्षक लगते हैं लेकिन इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानना अभी बाकी है। फसलों को हानि पहुंचाने वाले इन कीटों से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा।

अतः फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक-प्रबन्ध में कीटनाशकों का सुरक्षित, प्रभावकारी और किफायती ढंग से इस्तेमाल करना शामिल है। इसके लिए हमें पश्चिमी देशों से उपलब्ध आंकड़ों की अपेक्षा अपने ही देश में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विकसित किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों को इस्तेमाल में लाना होगा। लेकिन हमें पश्चिमी देशों के अनुभव और ज्ञान का पूरा-पूरा लाभ भी उठाना चाहिए।

अनुवाद : रक्षा देवी,
बी-94, शशि गार्डन,
पटपड़गंज, दिल्ली-91

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित

जन संचार के विभिन्न माध्यम, मुख्यतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध तथा प्रकाशन, दूरदर्शन, प्रसारण, विज्ञापन, पत्रकारिता, फिल्म आदि विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से प्रकाशन विभाग (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988 के पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे।

प्रथम पुरस्कार	**15,000 रुपये**
द्वितीय पुरस्कार	**10,000 रुपये**
तृतीय पुरस्कार	**5,000 रुपये**

इस वर्ष पुरस्कार के लिए जनवरी, 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 तक की अवधि में प्रकाशित पुस्तकें अथवा टाइप की हुई पाण्डुलिपियों को विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख

प्रविष्टियां भेजने से पहले पुरस्कार संबंधी नियम, प्रविष्टि प्रपत्र तथा पूर्ण विवरण मंगाने के लिए श्रीमती डी. डी. कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा), प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 को अपने आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा हुआ 10 x 22 सेंटीमीटर आकार का एक बिना टिकट वाला सादा लिफाफा अवश्य भेजें या संपर्क करें। वर्ष 1988 की भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रकाशित पुस्तकों अथवा लिखी (टाइप की हुई) पाण्डुलिपियों की 6 प्रतियों सहित भेजने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 1989 है। □

पुस्तक समीक्षा

जंगल में मोर नाचा : लेखक डा. श्याम सिंह 'शशि'
प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
पृष्ठ-40, मूल्य : आठ रुपये

नृ विज्ञान विशेषज्ञ डा. श्याम सिंह 'शशि' न केवल एक प्रतिष्ठित प्रौढ़ रचनाकार हैं, प्रत्युत अपनी प्रतिभा का उपयोग उन्होंने बाल साहित्य क्षेत्र में भी किया है और कहानी, कविता के साथ-साथ अन्य बालोपयोगी पुस्तकों—रचनाओं का सृजन कर हिन्दी बाल साहित्य को समृद्ध किया है।

'देश-देश में रोमा बच्चे' की भांति भारतीय आदिवासियों पर हाल ही में प्रकाशन विभाग से उनकी नवीन कृति प्रकाशित हुई है 'जंगल में मोर नाचा'। विभिन्न आदिवासियों के जीवन पर प्रकाश डालती उक्त पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है, उसका बच्चों की मानसिकता के अनुरूप होना और उसकी भाषा की सरलता तथा सहज बोधगम्यता। 'श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम' के आदिवासी मयूर नृत्य करते हैं (जंगल में मोर नाचा) और वहां बगर, कोटिया और खोंड जनजातियां पायी जाती हैं। रायपुर के खोंड अपने को कुइलोका कहलाना पसंद करते हैं, यह जानकारी कथात्मक शैली में डा. शशि इतनी सहजता से बच्चों को बता देते हैं कि बच्चे सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं और कथा का आनन्द भी लेते हैं।

'बील' द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 'कमान' और इसलिए 'धनुष बाण' चलाने में प्रवीण होने के कारण 'बील' से भील बना (धनुष-बाण ले हाथ में)। डा. शशि भीलों के विषय में विस्तार से बताते हैं। किसी आदिवासी जाति पर प्रकाश डालते समय डा. शशि प्राय: उनमें प्रचलित किसी न किसी लोक कथा को भी उद्धृत करना नहीं भूलते। इससे विषय की रोचकता में वृद्धि होती है और रचना की पठनीयता भी बढ़ जाती है। ऐसा उन्होंने गोंड आदिवासियों की चर्चा करते समय 'मां का प्यार' तथा बैगा जनजाति पर प्रकाश डालते समय 'हिटलर का जादू' में किया है। 'हिटलर का जादू' में उन्होंने वैरियर इलविन की बात को उद्धृत करते हुए बैगाओं की बहादुरी पर प्रकाश डाला है।

मुड़िया आदिवासियों के विषय में लेखक 'बच्चों का घर' में विस्तार से बताता है। मुड़िया लोगों में प्रचलित 'घोटुल घर' प्रथा की वह चर्चा करता है और बताता है कि घोटुल जैसे घर भारत की मुंडा, हो, ओरांव और छोटा नागपुर की कुछ जनजातियों में देखने को मिलते हैं।

डा. शशि 'शाकाहारी समाज' में एक ऐसी जाति की विवेचना करते हैं जो शाकाहारी है। वह है टोडा। ये तमिलनाडु के उटकमंड जिले में रहते हैं और इनके गांव को 'मुंडे' कहते हैं। इसी प्रकार नागाओं के विषय में वे 'भाले से शिकार' में चर्चा करते हैं। इनकी उप जातियां अंगामी, सेमा, माटिंग, माओ, आओ, कुबई, लहोरा और तांगखल पर भी वे प्रकाश डालते हैं। 'लोमड़ी का मानव बालक' लेखक की एक मार्मिक रचना है, जिसमें लोमड़ी पालित एक बालक का वर्णन है। लोमड़ी से मुक्त कर उस बालक को तनसुख नाम देकर राजेन्द्र आश्रम झाबुआ के अध्यक्ष श्री चुन्नीलाल महाराज और उनकी पत्नी ने किस प्रकार उसे पालने-पोसने की कोशिश की, लेखक ने विस्तार से प्रकाश डाला है।

'संथाल' के विषय में डा. शशि 'काला पानी' में हमें बताते हैं। 'घुमन्तू रस्सी' गद्दी जनजाति के कार्य कलापों को उद्भासित करती है।

बच्चों के लिए समाजशास्त्र विषयक समीक्षित कथात्मक पुस्तक का मोर जंगल में ही नहीं पुस्तक पढ़ लेने के बाद बच्चों के हृदय में भी नाचने लगता है। बालक उसके एक-एक अंश को स्मृति पटल में संजो लेता है और यही लेखक की सबसे बड़ी सफलता है। एक समीक्षक की दृष्टि से मेरा ऐसा विचार इसलिए और अधिक दृढ़ हुआ, क्योंकि मेरी आठ वर्षीय बेटी ने न केवल एक ही बैठक में पुस्तक को आद्योपांत पढ़ा, प्रत्युत उसके अंश भी सुनाए। आवश्यकता है ऐसी ही अन्य पुस्तकों की और आशा है डा. शशि से उसकी पूर्ति हो सकेंगी।

डा. रूपसिंह चंदेल
10ए/ 22, शक्तिनगर
नई दिल्ली—110007

खेतिहर मजदूर से दुकानदार

चक्रपाणि चतुर्वेदी

बाबूलाल पुत्र श्री घूडीलाल मालवीय, उम्र 23 वर्ष, मूल निवासी ग्राम कदराबाद, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश का रहने वाला एक खेतिहर मजदूर था जिसकी 12 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी। बाबूलाल 8 रुपये प्रतिदिन पर कार्य करता था जिससे उसे परिवार के भरण पोषण करने में कठिनाई होती थी। वह उक्त मजदूरी की राशि से सन्तुष्ट नहीं था। एक रोज उसे श्यामपुर के ग्राम सेवक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी दी तथा एक छोटी-सी किराना दुकान खोलने के लिये उसे जनवरी, 88 में 4000 रुपये का ऋण दिलवाया जिसमें उसे 1333 रुपये की (छूट) मिली। उक्त ऋण का भुगतान 39 किस्तों में करना था।

अब रोज दुकान पर 60-70 रुपये का सामान बिक जाता है जिससे उसे 18 रुपये की आमदनी हो जाती है। प्रति माह 100 रुपये की किस्त देकर भी उसे 450 रुपये बच जाते हैं। अपना मकान होने से किराया नहीं देना पड़ता है। वह ऋण को पूर्ण कर, पुनः दुकान बढ़ाने के लिये ऋण लेने का इच्छुक है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। उसने हिरनखेडी में चलचित्र प्रदर्शन एवं कव्वाली का कार्यक्रम सुनकर दो बच्चों के बाद ही परिवार नियोजन कराने का निश्चय कर लिया है।

अब वह पूर्ण रूप से सन्तुष्ट एवं प्रसन्न है कि परिवार अच्छा जीवन यापन कर रहा है। जो बुरे दिन थे वह अब बीत गये हैं और आगे बढ़ने की उमंग है। उसी का प्रतिफल है कि बाबूलाल आज एक खेतिहर मजदूर से किराना दुकानदार बन गया है।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
भोपाल

नौकर से दो ट्रकों का मालिक बना

बी.एस. शेखावत

जोधपुर निवासी कालू सिंह ने हथेली में सरसों नहीं उग सकती वाली कहावत को अपवाद साबित किया है। कालू सिंह की सफल कहानी कोई कपोल कल्पित नहीं बल्कि यथार्थ कहानी है।

करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कालू सिंह दिन में पेट्रोल पम्प पर मामूली नौकरी करता था तथा प्रातः सब्जी मण्डी में सब्जी बेचकर गुजर बसर करता था। फलस्वरूप मालिक के काम से उसका आना-जाना भारतीय स्टेट बैंक की राईकाबाग शाखा में हुआ। एक दिन संकोच के साथ उसने बैंक के शाखा प्रबन्धक से उसे एक ट्रक का ऋण देने का अनुरोध किया। बैंक के प्रबन्धक ने उसकी ईमानदारी व कर्तव्यपरायणता से प्रभावित होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे परियोजना प्रस्तुत करने को कहा। सारी औपचारिकताओं के बाद अक्तूबर 1987 में उसे करीब दो लाख रुपये का ऋण प्रदान कर एक ट्रक दिलवाया गया। कालू सिंह ने एक वर्ष में कड़ी मेहनत कर बैंक में अपनी ख्याति जमा ली जिससे बैंक ने अक्तूबर 1988 में एक ट्रक और दिलवा दिया। कालू सिंह बैंक को दोनों ट्रकों की किस्तें नियमानुसार जमा करवा रहा है। कालू सिंह ने अपने स्वभाव से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिकारियों का दिल जीतकर दोनों ट्रक गैस सिलेण्डर ढोने में लगा रखे हैं जिससे न केवल उसे स्थायी आमदनी होती है अपितु अब उसका स्थान खाते-पीते परिवारों में हो गया है।

कालू सिंह अगले वर्ष तक 8 लाख रुपये की लागत वाला गैस ढोने का टेंकर खरीदना चाहता है। इसके लिए अभी से उसने अपनी पूंजी का संचय प्रारम्भ कर दिया है। यदि कालू सिंह की तरह अन्य लोग भी बैंक ऋणों का सदुपयोग करें तो वे भी असंभव को संभव कर सकते हैं।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
जोधपुर

"अठन्नी से आत्मनिर्भरता की ओर"

बी.पी. शर्मा

"कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता।
बस एक पत्थर जरा तबियत से उछालो यारो।।"

स्व. दुष्यंत कुमार की उक्त पंक्तियों में छिपे प्रेरक सन्देश को सार्थक किया है, विकास खण्ड पिंगेश्वर, जिला रायपुर के सरगोड ग्राम में रहने वाले 36 वर्षीय मन्नूलाल साहू आत्मज दयाराम साहू ने।

श्री साहू ने आज से 26-27 वर्ष पूर्व अतीत में झांकते हुए बताया कि जब वह जामगांव प्राथमिक पाठशाला में कक्षा तीसरी में पढ़ रहे थे तो परम्परागत छेरछेरा नाचने पर प्रशंसकों ने उन्हें उसे एक काठा (सवा दो किलो) धान इनाम में दिया था। उस धान को उन्होंने सन् 1962 में पिंगेश्वर के बाजार में बेचकर आठ आने पाये। इन्हीं पैसों से उन्होंने बच्चों की मीठी खाने की गोलियां – पिपरमेंट खरीदीं और व्यवसाय का श्रीगणेश कर दिया।

श्री साहू बताते हैं कि आठ आने से एक रुपया, एक से दो रुपया और इसी तरह द्विगुणित गति से बढ़ता उनका छोटा सा व्यापार फलने-फूलने लगा। कक्षा तीसरी से पांचवी तक पढ़ाई व व्यापार साथ-साथ चला। परिवार की आर्थिक विपन्नता के कारण उनके पिता आगे नहीं पढ़ा सके। 1964 में पांचवीं पास करके उन्होंने संचित निधि से प्रसिद्ध राजीम मेले में पान व किराना की दुकान लगाई। इसी बीच उनके क्षेत्र के एक जागरूक पत्रकार श्री वीरेन्द्र दीपक ने उन्हें जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और शासन से मदद लेकर धंधा बढ़ाने की प्रेरणा दी। फलस्वरूप श्री साहू ने बिलासपुर, रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जामगांव शाखा से 2500 रुपये का ऋण किराना दुकान बढ़ाने के लिए लिया जिस पर उन्हें एक तिहाई छूट भी मिली। श्री साहू बताते हैं कि उन्होंने सरकारी कर्जा बराबर नियम से निपटाया और वर्ष 1987 में पुनः 4,000 रुपये का ऋण किराना दुकान विस्तार के लिए लिया। इस ऋण की अदायगी भी बराबर कर रहे हैं।

श्री साहू ने बताया कि उनके परिवार में 16 सदस्य हैं। पैतृक कृषि भूमि मात्र 3 एकड़ है, फलस्वरूप उदरपोषण के लिए उन्हें अभी भी गांव के अन्य किसानों की जमीनें किराये पर लेनी पड़ती हैं, परन्तु शासन के ऋण के सहारे जो किराना दुकान वे चला रहा हैं उससे गुजर-बसर आराम से होने लगी है। श्री साहू ने खुद का मकान भी गांव में खड़ा कर दिया है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक है और उनकी मान्यता है कि एक दिन उनका परिवार खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
बिलासपुर

जय किसान

प्रफुल्लचन्द्र पाठक

उसर में ईख उगे
पत्थर में धान
जहां तेरा स्वेद गिरे
वही कण महान
धरती यह तेरी है
तू इसकी जान
तेरी ही मेनहत पर
देश को है मान
ऊंची है तुझसे ही
भारत की शान
जय किसान जय किसान जय जय किसान
बैलों की घंटी के नुपुर पुकारते
नारी अलबेली के कंगन खनकारते
रख दें हम भूमि पर
स्वर्ग को उतार के
संग फिर हमारा दें
मौसम बहार के
ऊपर आकाश में गूंजे ये बोल
सोता तू क्या करे आंख जरा खोल
स्वर्ग यही स्वर्ग यही स्वर्ग यही है
स्वर्ग से बढ़कर यह भारत मही है

148 स्कूल ब्लाक
शकरपुर
दिल्ली-110092

ग्रामीण विकास एवं जल आपूर्ति कार्यक्रम

विजय कुमार रूँगटा

भारत गांवों का देश है। हमारे देश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है तथा गांवों में रहने वाले व्यक्ति प्रायः कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे ग्रामीणों की संख्या कम ही है जो गांवों में रहते तो हैं परन्तु कृषि पर आश्रित नहीं हैं। इन ग्रामीणों की अन्य समस्याओं के साथ महत्वपूर्ण समस्या स्वच्छ एवं निर्मल पेय जल के उपलब्ध न हो पाने की है। यद्यपि जल का कोई मूल्य नहीं होता परन्तु फिर भी मानव जीवन के लिये जल अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान है। स्वच्छ एवं निर्मल जल उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी बुरा व विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1986 के 20 सूत्री कार्यक्रम में 7 वां सूत्र, शुद्ध पेय जल की उपलब्धि निर्धारित किया गया है। इस सूत्र के अनुसार सरकार का लक्ष्य सभी गांवों में शुद्ध पेय जल का उपलब्ध कराना है एवं ऐसे स्रोतों को खोजना हैं जिनसे शुद्ध जल की प्राप्ति हो सके।

इस सूत्र के अनुसार पेय जल उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में वित्तीय कमी न होने पाये इसके लिये सरकार काफी प्रयत्नशील है। छठी योजना के दौरान 1 लाख 92 हजार समस्या ग्रस्त गांवों में पेय जल की समस्या दूर करने का लक्ष्य रखा गया जिसमें राज्य सरकारों द्वारा कुल व्यय का अनुमान लगभग 15 अरब 39 करोड़ रुपये का रखा गया एवं सरकार द्वारा तीव्र गति से कार्य करने के लिये लगभग 900 करोड़ रुपये की राशि रखी गई। तीव्र विकास करने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 अरब 96 करोड़ 33 लाख रुपये का आबंटन किया गया जो कि वर्ष 1986-87 में बढ़कर 3 अरब 12 करोड़ 67 लाख रुपये हो गया।

सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के समस्त गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये सरकार द्वारा 12 अरब 1 करोड़ 22 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल व्यय का अनुमान 22 अरब 53 करोड़ 25 लाख रुपये का रखा गया है। वर्ष 1987-88 में सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय की कुल राशि 3 अरब 70 करोड़ रुपये निर्धारित की गई तथा चालू वर्ष में लगभग 65 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम पर व्यय किये जा चुके हैं। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार पेयजल संकट को बहुत तीव्र गति से समाप्त करना चाहती है। वर्ष 1986-87 के लिये तीव्रकृत जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का राज्यवार वितरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

तीव्रकृत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1986-87 में किये गये धन का आबंटन एवं वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष में किया गया आबंटन	वितरण प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	विशेष किश्त
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.60	8.80	5.99	2.81	-
2.	असम	13.70	6.85	2.21	-	-
3.	बिहार	29.30	11.85	2.80	7.33	-
4.	गुजरात	10.16	5.08	5.08	5.00	2.21
5.	हरियाणा	5.20	2.60	1.30	-	1.00
6.	हिमाचल प्रदेश	6.30	3.15	2.30	.85	-
7.	जम्मू व कश्मीर	19.00	9.50	9.50	-	1.73
8.	कर्नाटक	12.45	6.27	4.08	2.19	2.73
9.	केरल	9.96	4.98	4.98	-	2.17

10.	मध्यप्रदेश	12.66	11.33	11.33	-	4.66
11.	महाराष्ट्र	19.34	9.67	9.63	-	4.22
12.	मणिपुर	3.08	1.54	1.54	-	
13.	मेघालय	4.20	-	-	-	-
14.	नगालैंड	4.22	1.60	.51	2.11	-
15.	उड़ीसा	12.78	5.38	1.01	6.39	-
16.	पंजाब	5.14	2.57	2.57	-	-
17.	राजस्थान	21.22	7.00	1.00	8.00	11.00
18.	सिक्किम	3.72	1.86	.14	1.72	-
19.	तमिलनाडु	15.44	7.72	-	-	-
20.	त्रिपुरा	3.50	1.75	1.75	-	-
21.	उत्तर प्रदेश	46.15	6.95	16.12	11.54	-
22	पश्चिम बंगाल	24.80	3.30	.67	4.99	-
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप	.40	.20	-	-	-
24.	अरुणाचल प्रदेश	.64	.32	-	-	-
25.	गोवा दमन व दीव	.46	.23	-	-	-
26.	मिजोरम	.68	.34	.50	.84	-
27.	पांडिचेरी	.26	.13	-	-	-
28.	दादरा तथा नागर हवेली	.12	-	-	-	-
29.	लक्ष्यद्वीप	.10	-	-	-	-
	योग	312.67	120.97	85.01	53.77	29.72

स्रोत-ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिये कितने–कितने धन का आबंटन किया गया एवं कितने–कितने धन का वितरण किया गया। दादर एवं नागर हवेली व लक्ष्यद्वीप में कोई भी धनराशि वितरित नहीं की गई क्योंकि वहां पर ऐसी किसी भी योजना का क्रियान्वन नहीं किया गया है।

गांवों में पेयजल व शुद्ध जल का प्रबन्ध एवं खोज करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये एक जल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन का कार्य गांवों में नये-नये स्रोतों का पता लगाना एवं आधुनिक वैज्ञानिक रीतियों के माध्यम से उन स्रोतों से प्राप्त जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाना होता है। इस मिशन ने अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाया है एवं अग्रणीय कार्य किया है। परन्तु यह मिशन पर्वतीय एवं रेतीले स्थानों पर कम प्रगति कर पाया है। इसका मुख्य कारण वहां मिशन को पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध न हो पाना है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के कुल 54 प्रतिशत गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है तथा शेष 46 प्रतिशत गांवों को पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। छठी योजना के अन्त में लगभग 39 हजार गांवों को शामिल करना रहता था। इन गांवों में एवं शेष गांवों में व्यापक सर्वेक्षण का कार्य किया गया जिससे छठी योजना के बचे शेष गांवों एवं नये गांवों जो कि 2.27 लाख है में पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

योजना के बचे शेष गांवों एवं नये गांवों जो कि 2.27 लाख है में पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

प्रौद्योगिकी मिशन के उद्देश्य

प्रौद्योगिकी मिशन के समक्ष पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न उद्देश्य रखे गये :–

1. 1990 के अन्त तक छठी योजना के शेष गांवों एवं नये गांवों जिनकी संख्या 2.27 लाख है, जो कुल गांवों की संख्या का 39 प्रतिशत है, में पेयजल उपलब्ध कराना।

2. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर शुद्ध जल उपलब्ध कराना।

3. मरू क्षेत्रों में मनुष्यों के लिये 40 लीटर व पशुओं के लिये 30 लीटर शुद्ध जल उपलब्ध कराना।

4. योजना में किये गये आबंटन की सीमा में ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये लागत से ज्यादा लाभकर तकनीक विकसित करना।

5. निरन्तर जल आपूर्ति बनाये रखने हेतु जल संरक्षण सम्बन्धी कदम उठाना।

मिशन द्वारा किये जा रहे कार्य

मिशन लगातार अपने कार्यों में प्रगति कर रहा है एवं लोगों को अधिक से अधि पेयजल की आपूर्ति कराने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 1985-86 में 28,177 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जबकि मिशन के अथक प्रयासों से 45,248 गांवों में यह योजना क्रियान्वित की गई। वर्ष 1986-87 में 35,930 गांवों में इस योजना का लक्ष्य रखा गया था जबकि लगभग 50 हजार गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1987-88 में लक्ष्य 50,570 गांवों में जल उपलब्ध कराने का रखा गया था।

जल की विभिन्न कमियों जैसे खारीपन, गिनवर्म,

फ्लरोरिस एवं लौह तत्वों के निवारण हेतु इस मिशन के पांच उपमिशन स्थापित किये गये हैं जिनका कार्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में से कमियों को दूर करके पीने योग्य बनाना होता है। पांचवां उपमिशन भूमि से जल निकालने एवं उसका संरक्षण सम्बन्धी कार्य करने के लिये स्थापित किया गया है। हाल ही में मिशन ने निर्णय लिया है कि भूमिगत जल साधनों के अधिक उपयोग के लिये नये उपमिशन स्थापित किये जाये जो कि न केवल नये वैज्ञानिक तरीकों से टयूबवेल आदि तरीकों से टयूबवेल आदि खोदने का कार्य सम्पन्न करेंगे अपितु बड़े पैमाने पर जल संभर प्रबन्ध जैसे छोटे कुऐं, तालाब, खादिन, नाड़ी, गूल, बांध आदि के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करेंगे। वर्ष 1986-87 उपलब्ध जल स्रोतों का प्रतिशत विवरण तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

	जल स्रोत	
1.	सेनेटरी कुऐं	
	'अ' हैन्ड पम्प	5.8%
	'ब' पावर पम्प	2.0%
2.	प्रोटेक्टेड स्प्रिंग पोस्ट	3.0%
3.	पाईप जल से आपूर्ति	26.8%
4.	बोर/टयूबवेल-पावर पम्प	2.0%
5.	हैण्ड पम्प	60.4%
	योग	100.0%

उपरोक्त तालिका में अवलोकन से ज्ञात होता है कि बोर/ट्यूबवैल-हैण्ड पम्प द्वारा सबसे बड़ा जल स्रोत उपलब्ध कराया गया है जबकि अन्य स्रोतों में पाईप द्वारा जल आपूर्ति अत्यधिक रही है।

विभिन्न राज्यों में भी पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सरकार द्वारा पेयजल की समस्या के निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 1987 तक उ.प्र. के विभिन्न गांवों में 33,788 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1,57,165 हैण्ड पम्प हैं जिनमें से 1,54,847 पम्प चालू हालत में हैं। शेष नलों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पेयजल परियोजनाओं के लिये 10 करोड़ रुपये तथा हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु 3 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कुल 127 करोड़ रुपये की राशि रखी गई जिनमें से 115 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्र के लिये निर्धारित की गई।

राज्य के पेयजल संकट को दूर करने के लिये भूमि विकास बैंक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 1986-87 में बैंक द्वारा 550 कुओं, 130 रहट, 5235 नलकूपों एवं 73,698 पम्प सेटों के क्रय हेतु लगभग 65.8 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया। इन जल स्रोतों से कृषक एक तो सिंचाई का कार्य पूरा कर लेता है तथा उसे पेयजल भी उपलब्ध हो जाता है।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा पेयजल के संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है एवं यदि सरकार द्वारा चलाये जा रहे 20 सूत्री कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जाये तथा मिशन अपने कार्यों को सही प्रकार से करता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब देश के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जल की आपूर्ति की जा सकेगी।

50, चाहकमाल, हापुड़–245101

केलवाड़ा में विकास की नई भाग्य रेखा

प्रभात कुमार सिंघल

लबे सड़क राजस्थान के कोटा जिले में जिला मुख्यालय से करीब एक सौ तीस किलोमीटर दूर पंचायत समिति शाहबाद की एक सहरिया आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत है। आजादी के पश्चात इस ग्राम पंचायत में विकास एवं निर्माण की एक नई लहर आई है। सरकार की योजनाएं यहां फली-फूली हैं। आदिवासियों के स्वप्न साकार होने लगे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम ने भी यहां के विकास में नई भाग्य रेखा खींची है। सहरियों के आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही सहरिया परियोजना का लाभ यहाँ सहरियों ने उठाया है।

केलवाड़ा ग्राम पंचायत की जनसंख्या करीब 10 हजार है। इस पंचायत से 10 गांव जुड़ते हैं। पंचायत में रहने वालों के आर्थिक उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास हुए हैं।

आज वो समय काफी पीछे छूट चुका है जब पीने का पानी लाने के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ता था। आज 25 हैंडपंप यहां लगाये जा चुके हैं। इससे महिलाओं को काफी राहत मिली है। ग्यारह हैंडपंप अकेले केलवाड़ा में स्थापित किये गये हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विषय में भी केलवाड़ा भाग्यशाली है। यहाँ 30 शय्याओं वाला रेफरल चिकित्सालय एवं दवाईयों की दो दुकानें हैं। चिकित्सालय में 6 चिकित्सकों के पद सृजित हैं। समीप में सीताबाड़ी नामक धार्मिक स्थल पर प्रतिवर्ष नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता हैं।

केलवाड़ा शिक्षा विस्तार की दृष्टि से भी धनी है। पंचायत के 10 में से 8 गांवों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है। वर्ष 1978 से माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय केलवाड़ा में प्रारंभ हुए। अभी वर्तमान में इनमें क्रमशः 250 से 300 बच्चें शिक्षा ले रहे हैं। दो निजी शिक्षण संस्थाएं भी क्रियाशील हैं। केलवाड़ा में सहरिया परियोजना एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से पृथक-पृथक छात्रावास भी संचालित किये जा रहे हैं। इनमें 35-35 बच्चे इन शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। पहाड़ी एवं कलोनिया में 54-54 हजार रुपये की लागत से प्राथमिक विद्यालय भवन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष बनाया गया।

विद्युत विकास एवं विस्तार की दृष्टि से 10 में से 9 गांवों में विद्युत का विकास किया गया है। गांवों की सड़कों पर प्रकाश उपलब्ध कराने के लिए उत्साही और नव निर्वाचित सरपंच श्री राम कुमार प्रयासरत है।

सहरिया जनजाति के 61 परिवारों को इसी वर्ष खुशियारा इन्दिरा आवासीय योजना के तहत आवास गृह बना कर बसाया गया। सभी के घरों में निर्धूम चूल्हे भी लगवाये गये हैं। इनके अलावा 60 और परिवारों को भी निर्धूम चूल्हे लगा कर लाभान्वित किया गया है।

पंचायत की खुशियारा, केलवाड़ा, छिछरोनी, सिलोरा एवं ख्यावदा की लगभग 1250 बीघा भूमि सिंचित है। सोयाबीन की खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। तिलहन ग्राम उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया गया है। बाणगंगा नदी, तालाब एवं कुएं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं।

केलवाड़ा पंचायत मुख्यालय बस सेवा से जुड़ा है। बैंक, पोस्ट आफिस एवं डीजल पंप इत्यादि की सुविधाएं भी यहाँ सुलभ हैं। पांच वर्ष पूर्व उप तहसील मुख्यालय बनाया गया। पंचायत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए वर्ष 1976 से पुलिस थाना कायम है। केलवाड़ा में विकास के हर अध्याय का श्रीगणेश हुआ है।

सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सूचना केंद्र,
कोटा –324001 (राजस्थान)

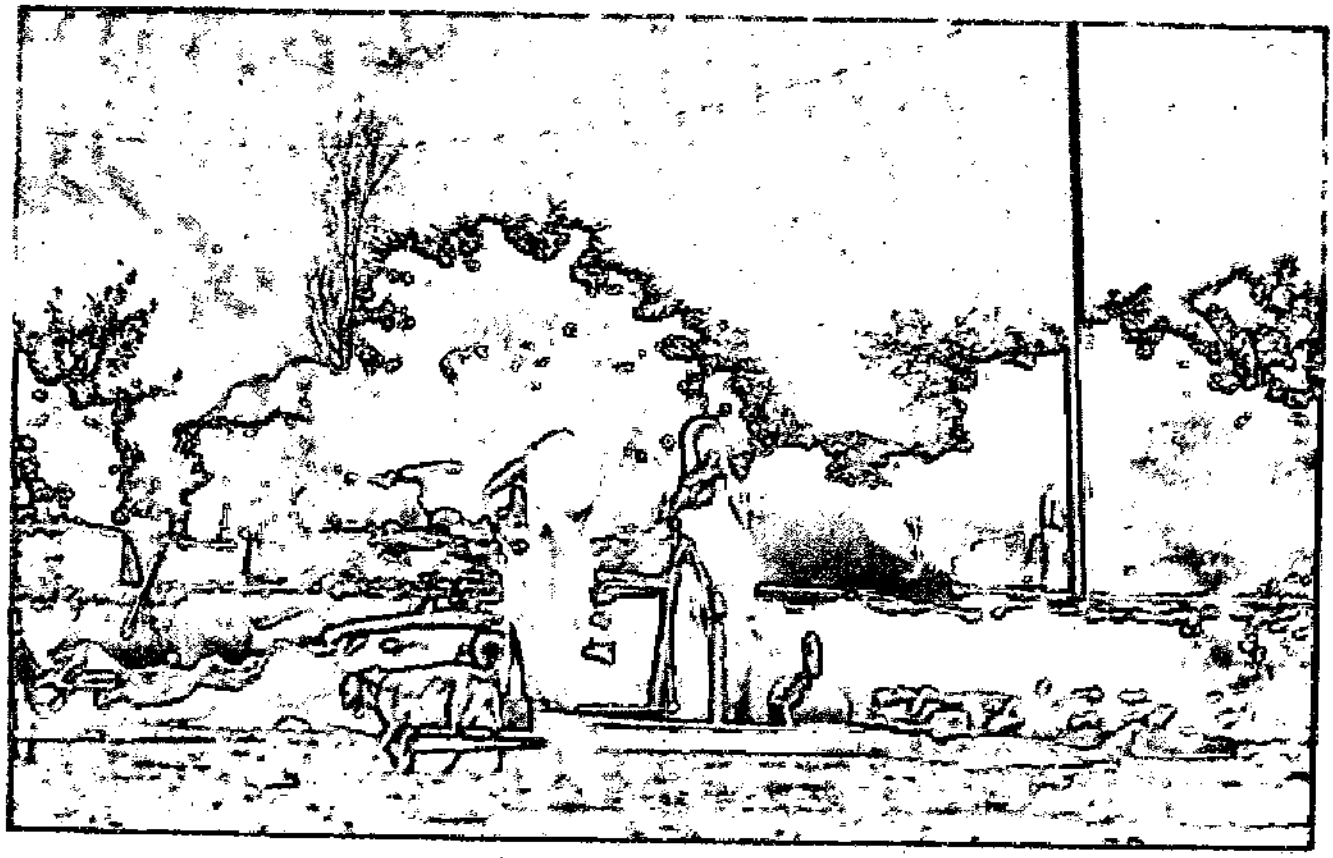

ग्रामीण जनता के लिए पीने के पानी की आपूर्ति का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यह एक मूलभूत आवश्यकता है ।

22.6.89

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग
नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित